PS Jul-Dec'21_feb'11 pror shiksha.qxd 12/18/2021 1:33 PM Page I

वर्ष 65 अंक 3-4

ISSN 2231-2439
जुलाई-दिसंबर 2021

प्रौढ़ शिक्षा

प्रौढ़, सतत एवं आजीवन शिक्षा जगत का मुख पत्र

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

PS Jul-Dec'21_feb'11 pror shiksha.qxd 12/18/2021 1:33 PM Page II

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

1939 में स्थापित भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में, शिक्षा के माध्यम से अभिवृद्धि करना है, जिसे यह निरन्तर एवं आजीवन प्रक्रिया के रूप में देखता है। संघ प्रौढ़ शिक्षा को एक प्रक्रिया, कार्यक्रम और आन्दोलन के रूप में गतिशील बनाने की दिशा में प्रतिबद्ध है। संघ प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार में कार्यरत स्वंयसेवी संगठनों, विश्वविद्यालयों, शासकीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यकलापों से समन्वय करता है। संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों का आयोजन और प्रौढ़ शिक्षा के विभिन्न आयामों पर निरंतर सर्वेक्षण तथा शोध के साथ, संघ अपने सदस्यों की प्रौढ़ शिक्षा विषयक जानकारी में नवीनता एवं प्रखरता बनाए रखने के लिए समूचे विश्व में अद्यतन विचार और अनुभव प्रस्तुत करने का निरन्तर प्रयत्न करता रहता है। प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्रों में अनुसंधान हेतु विभिन्न प्रयोगात्मक परियोजनाएं भी संचालित करता है। अपनी नीतियों के अनुसरण में संघ ने 'नेहरू साक्षरता पुरस्कार' एवं महिलाओं में निरक्षरता निवारण कार्य हेतु 'टैगोर साक्षरता पुरस्कार' की स्थापना की है।

डा. जाकिर हुसैन स्मृति व्याख्यान प्रतिवर्ष किसी मूर्धन्य शिक्षाविद् द्वारा दिया जाता है। संघ हिन्दी एवं अंग्रेजी शोध कार्य के लिए डा. मोहन सिंह मेहता फेलोशिप भी प्रदान करता है। संघ का अमरनाथ झा पुस्तकालय प्रौढ़, सतत् और जनसंख्या शिक्षा की सन्दर्भ सामग्री की दृष्टि से देश में अद्वितीय है। विविध सन्दर्भ पुस्तकों के संकलन के अतिरिक्त देश और विदेश से प्रकाशित प्रौढ़ शिक्षा संबंधी पत्र–पत्रिकाएं, सूचना एवं संदर्भ सामग्री भी इसमें उपलब्ध है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य हेतु संघ की पहल पर प्रौढ़ एवं जीवनपर्यन्त अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडल्ट एंड लाईफलॉंग एजूकेशन) की स्थापना हुई। संघ प्रौढ़ शिक्षा विषय पर अनेक पुस्तकें व पत्रिकाएं प्रकाशित करता हैं, जो कि मुख्यतः प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों और नवसाक्षरों के लिए है। संघ 'इण्टरनेशनल फेडरेशन आफ वर्कर्स एजूकेशन एसोसिएशन्स', एवं 'एशियन साउथ पेसेफिक एसोसिएशन फॉर बेसिक एण्ड एडल्ट एजूकेशन', 'इण्टरनेशनल कौंसिल आफ एडल्ट एजूकेशन' तथा 'इण्टरनेशनल रीडिंग ऐसोसिएशन' से भी सम्बद्ध है। संघ की सदस्यता उन सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं के लिए खुली है जो इसके आदर्शों एवं लक्ष्यों में विश्वास रखते हैं और इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए इच्छुक हैं।

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

17–बी इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, महात्मा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110002
दूरभाषः 011–23379282, 23378436, 23379306
फैक्सः 011–23378206,
ई–मेलः directoriaea@gmail.com, iaeadelhi@gmail.com
website: www.iaea-india.in; www.iiale.org

PS Jul-Dec'21_feb'11 pror shiksha.qxd 12/18/2021 1:33 PM Page 1

प्रौढ़ शिक्षा

जुलाई–दिसंबर 2021
वर्ष 65 अंक 3–4

सम्पादक मण्डल

डा. सरोज गर्ग
श्री मृणाल पंत
श्री ए.एच.खान
श्री राजेन्द्र जोशी
सुश्री निशात फारूख

सम्पादक
सुरेश खण्डेलवाल

सहायक सम्पादक
बी. संजय

इस अंक में

सम्पादकीय 2

विद्यालयी शिक्षा के गुणवत्ता विषयक कारक : एक विश्लेषण
– उमेश चमोला 3

पढ़ने की प्रक्रिया का समाज–सांस्कृतिक और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य
– रजनी 11

प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल के विकास हेतु व्यूह रचनाओं का निर्माण एवं प्रभावशीलता का अध्ययन
– वन्दना चौबीसा
– सरोज गर्ग 19

भारतीय युवा शक्ति और रोजगार के अवसर
– तरूण कुमार शर्मा 31

डिजिटल विभाजन : साक्षरता और सशक्त भारत
– कल्पना कौशिक 40

उद्यमशीलता और रोजगाार 46

मूल्यः 200 रूपये वार्षिक

पत्रिका में व्यक्त लेखकों के विचार उनके वैयक्तिक विचार हैं जिनसे संघ एवं सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं है ।

PS Jul-Dec'21_feb'11 pror shiksha.qxd 12/18/2021 1:33 PM Page 2

सम्पादकीय

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण – 5 का निहितार्थ

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा देश के अन्य प्रमुख एजेंसियों द्वारा विकासात्मक कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के संचालन हेतु नीति निर्माण के लिए आवश्यक जानकारी एवं आंकड़े एकत्रित करने के लिए वर्ष 1992–1993 में पहली बार राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन.एफ.एच.एस.–1) किया गया। तब से अब तक ऐसे 5 सर्वेक्षण हुए हैं। पांचवें सर्वेक्षण के लिए वर्ष 2019–2020 के दौरान केन्द्र शासित प्रदेशों सहित कुल 14 राज्यों यथा अरूणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छतीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ओड़ीशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लगभग 6.1 लाख घरों से आंकड़े एकत्रित किए गए।

एन.एफ.एच.एस.–5 में प्रजनन क्षमता, शिशु और बाल मृत्युदर, परिवार नियोजन की प्रथा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण, एनीमिया तथा स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन सेवाओं के उपयोग एवं गुणवत्ता आदि विषयों को प्रमुखता प्रदान किया गया। इन विषयों से संबंधित जानकारियां वस्तुतः बाल टीकाकरण के विस्तार, बच्चों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों के घटक, मासिक धर्म स्वच्छता, शराब और तंबाकू के उपयोग की आवृति, और 15 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के सभी लोगों में उच्च रक्तचाप और मधुमेह को मापने के लिए विस्तारित आयु सीमा आदि तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

बहरहाल एन.एफ.एच.एस.–5 के संक्षिप्त रिपोर्ट जिसे सरकार द्वारा हाल ही में जारी किया गया है, से दो बातें तो स्पष्टतः प्रतिपादित होती हैं – प्रथम, जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार तथा दूसरा, टोटल फर्टिलिटी रेट में गिरावट।

आंकड़े बताते हैं कि देश में जन्म के समय के लिंगानुपात में आशाजनक सुधार हो रहा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार अब देश में एक हजार लड़कों के जन्म के मुकाबले 929 लड़कियां जन्म ले रही हैं। पिछला सर्वेक्षण, जो 2015–16 में हुआ था, के मुताबिक देश में एक हजार लड़कों के जन्म के मुकाबले 919 लड़कियों का जन्म हो रहा था। दूसरी ओर, देश में पहली बार एक हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या अब 1020 है। ऐसा लिंगानुपात विकसित देशों में पाया जाता है। भारत में यह लिंगानुपात निश्चित रूप से विकास को एक संतुलित दिशा प्रदान करने में कारगर साबित होगा।

एन.एफ.एच.एस.–5 की ताजा रिर्पोट से दूसरी महत्वपूर्ण तथ्य यह उजागर हुई है कि भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट यानी राष्ट्रीय प्रजनन दर 2.2 से कम होकर 2.0 तक पहुंच गई है। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि प्रति महिला औसत प्रजनन दर 2.1 को रिप्लेसमेंट मार्क के रूप में जाना जाता है। यानि इस औसत पर जनसंख्या कमोवेश स्थिर हो जाती है। यह पहली बार हुआ है कि देश की राष्ट्रीय प्रजनन दर रिप्लेसमेंट मार्क से भी नीचे चली गई। ध्यान रहे, ऐसा संयोगवश या किसी नाटकीय घटनाक्रम के तहत नहीं हुआ हैं। औसत प्रजनन दर में कमी की प्रवृत्ति काफी समय से दिख रही थी। ऐसे में यह मानना गलत नहीं होगा कि क्रमिक रूप से आया यह बदलाव एक हद तक टिकाऊ है और निकट भविष्य में इसके अचानक फिर ऊपर का रूख ले लेने जैसे कोई आसार नहीं दिख रहे हैं।

इसका मतलब यह हुआ कि देश की जनसंख्या को लेकर अपने नजरिये में भी हमें बदलाव लाने की जरूरत है। आजादी के बाद से ही जनसंख्या बढ़ोतरी को एक समस्या के रूप में देखने के हम आदी रहे हैं और सरकार की ओर से अलग–अलग स्तर पर जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने की कोशिशें चलती रही हैं। पर विगत कई दशकों से इस नजरिए में बदलाव की हो रही कोशिश को अब निर्णायक दिशा मिलती दिखती है जहां 'जनसंख्या विस्फोट' की जगह जनांकिकीय लाभ (डेमोग्राफिक डिविडेंड) लेने का विमर्श चल रहा हैं। सभी स्तरों पर यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जनसंख्या हमारी समस्या नहीं है। बल्कि इसका समुचित और रणनीतिक इस्तेमाल हो तो यह हमारे लिए एक बड़ा वरदान साबित हो सकती है। ऐसे में यह आवश्यक होगा कि सार्वभौमिक साक्षरता एवं सशक्तिकरण के हर संभव उपाय किए जाएं ताकि देश को वास्तविक धरातल पर जनांकिकीय लाभ प्राप्त हो सके।

–बी.संजय

PS Jul-Dec'21_feb'11 pror shiksha.qxd 12/18/2021 1:33 PM Page 3

विद्यालयी शिक्षा के गुणवत्ता विषयक कारक : एक विश्लेषण

– उमेश चमोला

विद्यालयीन शिक्षा हो या उच्च शिक्षा, शैक्षिक गुणवत्ता लम्बे अरसे से विद्वानों के चिन्तन का विषय रहा है। विद्यालयी शिक्षा को गुणवत्ता परक बनाने के लिए विभिन्न शिक्षा आयोगों और राष्ट्रीय शैक्षिक दस्तावेजों में समय–समय पर चिन्तन किया जाता रहा है जिनका उल्लेख कई दस्तावेजों में मिलता है। यूनिसेफ के अनुसार शिक्षा की गुणवत्ता निम्नलिखित पॉच तत्वों के आधार पर परिभाषित की जा सकती है:

1. सीखने वाले के कक्षा–कक्ष के बाहर के अनुभव
2. सीखने वाले के लिए अधिगम वातावरण
3. दी जा रही शिक्षा से संबंधित विषयवस्तु
4. सीखने की प्रक्रिया और
5. सीखने के प्रतिफलों की प्राप्ति।

विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता भी उपरोक्त कारकों से प्रभावित होती है। स्पष्ट है गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए सीखने वाले के कक्षा–कक्ष के बाहर के अनुभवों का शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया से जुड़ाव होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त शिक्षार्थी को शिक्षण में दिया जाने वाला अधिगम वातावरण, समय की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा से संबंधित विषयवस्तु और सीखने वाले के वय, मनोविज्ञान के आधार पर संचालित सीखने की प्रक्रिया और सीखने के प्रतिफलों की प्राप्ति के आधार पर शिक्षार्थी के सीखे ज्ञान का आकलन शिक्षा की गुणवत्ता को परिभाषित करने का आधार प्रस्तुत करते हैं।

एजुकेशन फॉर ऑल : ग्लोबल रिपोर्ट 2005 के अनुसार शिक्षा की गुणवत्ता दो आधारभूत सिद्धांतों से संबंधित निम्न तथ्यों के आधार पर परिभाषित की जा सकती है:

1. शिक्षा जो सीखने वाले के संज्ञानात्मक विकास की पहचान करती है ।
2. गुणवत्ता मूल्यों को बढ़ावा देने, नागरिकता के दायित्व संबंधी दृष्टिकोण और शिक्षार्थी के भावनात्मक विकास में शिक्षा की भूमिका को विस्तार देती है।

गुणवत्ता अमूर्त है किन्तु इसका प्रभाव इसके लिए किए गए प्रयासों के परिणामों के विशिष्ट रूप में दिखाई देता है। यह अपने प्रयोजन हेतु उपयुक्त और अनुपयुक्त होने के रूप में भी देखी जा सकती है। यह बदलावों के रूप में भी देखी जा सकती है (हार्वे और ग्रीन)।

समस्या की उत्पत्ति एवं चयन

प्राथमिक स्तर पर विद्यालयी शिक्षा के आधारभूत ढांचे, शिक्षक गुणवत्ता, विद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन एवं ठहराव को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2001 से सर्व शिक्षा अभियान और माध्यमिक स्तर पर वर्ष 2009 से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत विविध शैक्षिक क्रियाकलापों का आयोजन

किया जाता रहा है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब इन सभी शैक्षिक कार्यक्रमों को समग्र शिक्षा के अंतर्गत समेकित करने का प्रयास किया गया है। इन सभी शैक्षिक प्रयासों के बावजूद विभिन्न अध्ययन रिपोर्ट शिक्षा की गुणवत्ता के लिए किए जाने वाले प्रयासों के बारे में सोचने को विवश करते हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली द्वारा देश के 36 राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों के कुल 701 जिलों के कक्षा 3, 5 तथा 8 के 1,10,000 विद्यालयों के 2.2 मिलियन विद्यार्थियों पर वर्ष 2017 में किए गए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के परिणाम चौंकाने वाले हैं। यह सर्वे विषयवस्तु के बजाय दक्षता आधारित परीक्षण पर आधारित था। इसमें कक्षा 3 के विद्यार्थियों द्वारा गणित में 64, भाषा में 68 तथा पर्यावरण अध्ययन में 65 प्रतिशत राष्ट्रीय औसत उपलब्धि दर्ज की गई। इसी प्रकार कक्षा 5 के विद्यार्थियों की गणित, भाषा और पर्यावरण अध्ययन में राष्ट्रीय औसत उपलब्धि क्रमशः 53, 58 और 57 प्रतिशत देखने को मिली। कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा गणित में 42, भाषा में 57, विज्ञान में 44 तथा सामाजिक विज्ञान में 44 प्रतिशत राष्ट्रीय औसत उपलब्धि प्रदर्शित की गई। इसी प्रकार वर्ष 2019 में एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड द्वारा कक्षा 6, 7 और 8 में अध्ययनरत 4500 विद्यार्थियों पर किए राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण में कक्षा 6 के विद्यार्थियों द्वारा हिन्दी, सामाजिक अध्ययन, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में क्रमशः 62.5, 39.85, 46.67, 41.93 तथा 39.89 प्रतिशत औसत उपलब्धि दर्ज की गई। इसी प्रकार कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा हिन्दी में 52.2, सामाजिक विज्ञान में 32.5, गणित में 39.7, विज्ञान में 38.9 तथा अंग्रेजी में 38.5 प्रतिशत औसत उपलब्धि देखने को मिली। इसी तरह कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों ने जहाँ हिन्दी और अंग्रेजी में क्रमशः 63.67 तथा 48.68 प्रतिशत औसत उपलब्धि दिखाई वहीं विज्ञान में 44.23 तथा गणित में 41.68 औसत उपलब्धि देखने को मिली। सामाजिक विज्ञान में 46.28 प्रतिशत औसत उपलब्धि प्रदर्शित की गई।

इसी प्रकार Annual Status of Education Report 2019 के अनुसार 26 जिलों के 4 से 8 वय वर्ग के 36,000 बच्चों पर किए सर्वे में देखने को मिला कि मात्र 16 प्रतिशत बच्चे ही लिखे हुए को सही पढ़ पाए और 40 प्रतिशत ही अक्षरों की पहचान कर पाए। केवल 40 फीसदी बच्चे दो अंकों वाली संख्याओं की पहचान कर पाए। इसी प्रकार विश्व बैंक और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से वर्ष 2019 को नीति आयोग द्वारा जारी स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडैक्स रिपोर्ट में भी जहाँ कुछ राज्यों जैसे केरल में बेहतर स्थिति देखने को मिली वहीं कुछ राज्यों में शिक्षा गुणवत्ता के सुधारात्मक पक्षों को इंगित किया गया है।

इस विश्लेषण से स्पष्ट है कि तमाम प्रयासों के बाद भी शिक्षा की गुणवत्ता अपेक्षानुरूप देखने को नहीं मिल पा रही है। इसीलिए नीति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट (2015–16) में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों जैसे सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना आदि की प्रगति के विश्लेषण और विद्यालयी शिक्षा से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा को महत्व दिया गया है। साथ ही प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक सभी लड़के–लड़कियों को वर्ष 2030 तक निशुल्क, समान और स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है (पृष्ठ 40–41)। शिक्षा की गुणवत्ता कई कारकों से निर्धारित और प्रभावित होती है। अतः शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए आवश्यक है कि शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित कारकों/निर्धारकों का विश्लेषण कर शैक्षिक

उन्नयन के लिए कार्यनीति पर चिन्तन कर इसे लागू करना।

संबंधित साहित्य का अध्ययन

प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर पर दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता शोधार्थियों के लिए अध्ययन का विषय रही है। मृत्युंजय जना, अंसार खान और सौनेन्दु चटर्जी ने वर्ष 2014 में प्राथमिक स्तर के 52 प्रधानाध्यापकों और सेवारत–शिक्षक प्रशिक्षण के प्रभारी अधिकारियों पर किए अपने शोध में पाया कि विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता विद्यालय नेतृत्वशीलता, विद्यार्थियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति, शिक्षकों की पदोन्नति और अन्य सेवा विषयक मुद्दों तथा विद्यालयों की आर्थिक पक्षों से प्रभावित होती है। उन्होंने यह शोध उड़ीसा के झारग्राम क्षेत्र के पिछड़े क्षेत्र के विद्यालयों पर किया। उन्होंने विद्यालयों में गुणात्मक वृद्धि के स्थान पर विद्यार्थियों की संख्यात्मक वृद्धि को महत्व दिए जाने को भी शिक्षा की गुणवत्ता के प्रमुख कारक के रूप में पाया। प्रोफेसर चन्द्र गुनावारडेना ने वर्ष 2008 में श्री लंका के माध्यमिक स्तर के 100 शिक्षकों पर किए शोध में पाया कि पाठ्यचर्या में निहित संप्रेषण संबंधी दक्षताएं और विषयों से संबंधित विभिन्न दक्षताएं विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता के प्रमुख कारक के रूप में चिन्हित हुई हैं।

अध्ययन का औचित्य

संबंधित साहित्य के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि विभिन्न शोधार्थियों द्वारा शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन किया गया है। हर भौगोलिक क्षेत्र की अपनी विशिष्टताएँ होती हैं। प्रस्तुत अध्ययन में उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में बच्चों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति, विद्यालयों में सूचना संप्रेषण तकनीकी के संसाधनो की उपलब्धता एवं प्रयोग, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रयुक्त विधियां, शिक्षकों की पदोन्नति एवं सेवा विषयक प्रकरण, गैर शैक्षिक कार्यों में शिक्षकों की संलग्नता, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रयुक्त विधियॉ आदि को विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित कारकों के रूप में लेकर विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। विश्लेषण से प्राप्त परिणाम विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता को समग्र रूप में समझने की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होंगे।

अध्ययन के उद्देश्य

अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य शिक्षक–प्रशिक्षकों और शिक्षकों से प्राप्त अभिमतों के आधार पर विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित कारकों का विश्लेषण करना है।

अध्ययन हेतु परिकल्पना

बच्चों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति, विद्यालयों में सूचना संप्रेषण तकनीकी के संसाधनो की उपलब्धता एवं प्रयोग, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रयुक्त विधियां, शिक्षकों की पदोन्नति एवं सेवा विषयक प्रकरण, गैर शैक्षिक कार्यों में शिक्षकों की संलग्नता, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रयुक्त विधियॉ, शिक्षकों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति आदि विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित कारक हैं।

अध्ययन का सीमांकन

यह अध्ययन एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड के 25 शिक्षक–प्रशिक्षकों/अधिकारियों, 25 डायट संकाय सदस्यों और 50 शिक्षकों से प्राप्त अनुक्रियाओं पर सीमित किया गया है। शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित

कई कारक हो सकते हैं। प्रस्तुत अध्ययन को कुछ प्रमुख कारकों तक ही सीमित किया गया है।

अध्ययन हेतु उपकरण

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु शोधकर्ता द्वारा विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित 10 बिन्दुओं पर आधारित शोध उपकरण तैयार किया गया। इसमें विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित इन बिन्दुओं पर आधारित कथनो पर शिक्षक–प्रशिक्षकों और शिक्षकों से सहमति/असहमति और आंशिक सहमति के आधार पर अनुक्रियाएँ प्राप्त की गई हैं।

अध्ययन हेतु प्रयुक्त सांख्यकीय विधियॉ

इस अध्ययन में नॉरमेटिव सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। इस अध्ययन हेतु एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड के 25 शिक्षक–प्रशिक्षकों/अधिकारियों, डायट के 25 संकाय सदस्यों तथा 50 शिक्षकों का न्यादर्श के रूप में चयन किया गया है। न्यादर्श का चयन यादृच्छिक प्रतिचयन विधि से किया गया है। पूरित कथनो में प्राप्त अनुक्रियाओं की स्थिति के विश्लेषण के लिए इनका प्रतिशत ज्ञात किया गया।

प्रदत्तों का संकलन

चयनित शिक्षक–प्रशिक्षकों और शिक्षकों को शोधकर्ता द्वारा तैयार मतावली पूरित करने के लिए दिया गया। 25 एस.सी.ई.आर.टी के शिक्षक–प्रशिक्षकों, 25 डायट संकाय सदस्यों तथा 50 शिक्षक–प्रशिक्षकों से पूरित मतावली से प्राप्त सहमति, असहमति और आंशिक सहमति संबंधी अनुक्रियाओं का विश्लेषण किया गया जिनका परिणाम एवं व्याख्या इस प्रकार है।

परिणाम एवं व्याख्या

क्रम	गुणवत्ता संबंधी बिन्दु	अनुक्रियाएं (प्रतिशत में)		
		सहमत	असहमत	आंशिक सहमत
1.	बच्चों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति एवं अभिभावकों की शैक्षिक कार्यों के प्रति जागरूकता का अभाव।	64	4	32
2.	विद्यालयों में सूचना संप्रेषण तकनीकी से संबंधित संसाधनो की कमी के कारण शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में नवीनता का अभाव।	64	12	24
3.	शिक्षकों द्वारा अपने विषय के शिक्षण में शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण साफ्टवेयरों जैसे कैलजियम, जियोजेब्रा, स्टेलेरियम आदि का प्रयोग करना।	52	8	40

4.	स्वाध्याय की प्रवृत्ति होने के कारण शिक्षकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों की अद्यतन जानकारी से विज्ञ होना।	28	28	44
5	राज्य और जनपद स्तर पर संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रयोग की जाने वाली प्रशिक्षण विधियों का रोचक, प्रभावी और नवीन होना।	52	4	44
6	शिक्षकों की क्षमता अभिवर्धन के लिए प्रतिवर्ष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किए जाने की आवश्यकता।	56	20	24
7.	शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है नवीन प्रशिक्षण तब तक प्रारम्भ न किया जाए जब तक पूर्व संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम का कक्षा शिक्षण में प्रयोग सुनिश्चित न हो ।	80	8	12
8.	शिक्षकों की समय–समय पर पदोन्नति और उनके सेवा प्रकरणों का यथा समय निस्तारण और प्रभावी शिक्षण हेतु अभिप्रेरण किया जाना आवश्यक है।	92	4	4
9.	गैर शैक्षिक कार्यों में शिक्षकों की सेवा लेने से शिक्षण के मूल कार्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।	88	4	8
10.	कक्षा शिक्षण से पहले शिक्षण योजना का निर्माण एवं शिक्षण का उपलब्धिपरक होना।	100		

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता बच्चों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति एवं अभिभावकों की शैक्षिक कार्यों के प्रति जागरूकता, विद्यालयों में सूचना संप्रेषण तकनीकी से संबंधित संसाधनों की कमी के कारण शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में नवीनता का अभाव, शिक्षकों द्वारा अपने विषय के शिक्षण में शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण साफ्टवेयरों जैसे कैलजियम, जियोजेब्रा, स्टेलेरियम आदि का प्रयोग करना, स्वाध्याय की प्रवृत्ति होने के कारण शिक्षकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों की अद्यतन जानकारी से विज्ञ होना, राज्य और जनपद स्तर पर संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रयोग की जाने वाली प्रशिक्षण विधियों का रोचक, प्रभावी और नवीन होने, शिक्षकों की क्षमता अभिवर्धन के लिए प्रतिवर्ष प्रशिक्षण

कार्यक्रमों का आयोजन किए जाने की आवश्यकता, संचालित प्रशिक्षण के कक्षा–कक्ष में प्रयोग की सुनिश्चितता, शिक्षकों की समय–समय पर पदोन्नति और उनके सेवा प्रकरणों का यथा समय निस्तारण कर प्रभावी शिक्षण हेतु अभिप्रेरित करना, गैर शैक्षिक कार्यों में शिक्षकों की सेवा लेने से शिक्षण के मूल कार्य पर नकारात्मक प्रभाव तथा कक्षा शिक्षण से पहले शिक्षण योजना का निर्माण एवं शिक्षण का उपलब्धिपरक होना जैसे कारकों से प्रभावित है। अतः अध्ययन हेतु चयनित परिकल्पना स्वीकार करने योग्य है।

निष्कर्ष

आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि शत–प्रतिशत शिक्षकों और शिक्षक–प्रशिक्षकों ने शिक्षण से पूर्व शिक्षण योजना के निर्माण को उपलब्धिपरक शिक्षण के लिए आवश्यक बताया है। इसी प्रकार शिक्षकों की समय–समय पर पदोन्नति एवं सेवा प्रकरणों के निस्तारण तथा उन्हें गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्त करने को विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता के प्रमुख कारक के रूप में स्वीकार किया है। इसी प्रकार शिक्षकों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति एवं शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयरों के शिक्षण में प्रयोग की जरूरत पर भी बल देने की आवश्यकता स्पष्ट होती है।

अध्ययन का शैक्षिक निहितार्थ

प्रस्तुत अध्ययन से विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक स्पष्ट होते हैं। गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए भी प्रयोग में लाए जाने वाले उपायों का संकेत प्राप्त होता है जैसे अभिभावकों में शैक्षिक जागरूकता का प्रसार करना, विद्यालयों में सूचना संप्रेषण तकनीकी के संसाधनो की उपलब्धता, शिक्षण में शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयरों का प्रयोग करना, शिक्षण योजना का निर्माण, शिक्षकों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को प्रेरित करना आदि। सुधारात्मक पक्षों पर ध्यान दिए जाने से गुणवत्ता में वृद्धि संभव है।

भविष्य मे शोध हेतु सुझाव

1. यह अध्ययन एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड के 25 शिक्षक–प्रशिक्षकों/अधिकारियों, डायट के 25 संकाय सदस्यों और माध्यमिक स्तर के 50 शिक्षकों के अभिमत पर आधारित किया गया है। यही अध्ययन अधिक न्यादर्श पर किया जा सकता है।
2. इस अध्ययन में विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता के दस कारकों के आधार पर विश्लेषण किया गया है। यही अध्ययन अन्य कारकों को सम्मिलित करके भी किया जा सकता है।

संदर्भ

1. जना मृत्युजंय, अंसर खान तथा सौनेन्दु चटर्जी (2014) Issues in Quality of Primary Education in Backward Areas of Jhargram Subdivision. An Exploration of Policy Options for Adjustment, Revitalization and Expansion. International Journal of Research and Method in Education. 58-67 (January 1914).
2. गुनावारडेना, चन्द्र (2009), Quality Issues Secondary Education in Sri Lanka.

PS Jul-Dec'21_feb'11 pror shiksha.qxd 12/18/2021 1:33 PM Page 9

3. शिक्षक–शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009, एन.सी.ई.आर.टी, अरबिन्द मार्ग, नई दिल्ली।
4. विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, एन.सी.ई.आर.टी, अरबिन्द मार्ग, नई दिल्ली।
5. UNESCO EFA Global Monitoring Report 2005, The World Bank 1818 H. Street Washington DC 20433.
6. Harwey L. and Green D. (1993), http://doi/10.1080026029390180102.
7. National Institute of Transforming India (NITI) Ayog, Think tank of Government of India. www.niti.gov.in/niti.
8. Annual Status of Education Report 2019, PRATHAM, B4/58 Safdarjung Enclave Second Floor, New Delhi-110029. http://www.pratham.org/
9. Pre and Post NAS Interventions under Mission Koshish Programme, SCERT Uttarakhand, Rajiv Gandhi Navoday Vidhyalay Bhawan, Nalapani, Raipur, Dehradun, Uttarakhand.

10. शोध में प्रयुक्त गुणवत्ता मापनी

निर्देश – नीचे विद्यालयी शिक्षा से संबंधित गुणवत्ता विषयक कुछ कथन दिए गए हैं। आप इन कथनो के प्रति सहमत, असहमत या आंशिक रूप से सहमत हो सकते हैं। कृपया इन कथनो को पढ़ने के बाद इनके साथ दिए विकल्पों पर सही का निशान लगाइए। आपके द्वारा दी गई अनुक्रियाओं का प्रयोग शोध कार्य के लिए किया जाएगा। ये अनुक्रियाएँ पूर्णतः गोपनीय रखी जाएंगी।

कथन 1 – सरकारी विद्यालयों में निम्न सामाजिक–आर्थिक स्थिति के बच्चे आते हैं। उनके अभिभावकों में शैक्षिक कार्यों के प्रति जागरूकता नहीं होती है। इसलिए वे अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं।
(अ) सहमत (ब) असहमत (स) आंशिक रूप से सहमत

कथन 2 – अधिकांश विद्यालयों में सूचना संप्रेषण तकनीकी से संबंधित संसाधनों की कमी है। इसलिए शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में नवीनता का अभाव देखने को मिलता है।
अ) सहमत (ब) असहमत (स) आंशिक रूप से सहमत

कथन 3 – अधिकांश शिक्षक अपने विषय के शिक्षण में शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण साफ्टवेयरों जैसे कैलजियम, जियोजेब्रा, स्टेलेरियम आदि का प्रयोग करते हैं।
(अ) सहमत (ब) असहमत (स) आंशिक रूप से सहमत

कथन 4 – अधिकांश शिक्षकों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति है। इसलिए वे विभिन्न क्षेत्रों की अद्यतन जानकारी से अनभिज्ञ रहते हैं।
(अ) सहमत (ब) असहमत (स) आंशिक रूप से सहमत

कथन 5 – राज्य और जनपद स्तर पर संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रयोग की जाने वाली प्रशिक्षण विधियॉ रोचक, प्रभावी और नवीन हैं।

(अ) सहमत (ब) असहमत (स) आंशिक रूप से सहमत

कथन 6 – शिक्षकों की क्षमता अभिवर्धन के लिए प्रतिवर्ष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना आवश्यक है।

(अ) सहमत (ब) असहमत (स) आंशिक रूप से सहमत

कथन 7 – शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है तब तक नवीन प्रशिक्षण प्रारम्भ न किया जाए जब तक पूर्व संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम का कक्षा शिक्षण में प्रयोग सुनिश्चित न हो।

(अ) सहमत (ब) असहमत (स) आंशिक रूप से सहमत

कथन 8 – शिक्षकों की समय–समय पर पदोन्नति और उनके सेवा प्रकरणों का यथा समय निस्तारण उन्हें प्रभावी शिक्षण हेतु अभिप्रेरित करता है।

(अ) सहमत (ब) असहमत (स) आंशिक रूप से सहमत

कथन 9 – गैर शैक्षिक कार्यों में शिक्षकों की सेवा लेने से उनका शिक्षण का मूल कार्य नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है।

(अ) सहमत (ब) असहमत (स) आंशिक रूप से सहमत

कथन 10 – कक्षा शिक्षण से पहले शिक्षण योजना का निर्माण करने से शिक्षण उपलब्धिपरक होता है।

(अ) सहमत (ब) असहमत (स) आंशिक रूप से सहमत

❍❍❍❍❍

''हम वस्तुतः शिक्षित हैं कि नहीं, इसका निर्णय हमारे डिग्री, डिप्लोमा नहीं कर सकते। इसका निर्णय करने के लिए हमें सर्वप्रथम शिक्षा के अर्थ, स्वरुप एवं उदेश्य को समझना होगा। यदि हमारी शिक्षा इस कसौटी पर सही उतरती है तो हम शिक्षित कहे जा सकते हैं अन्यथा तो हम तथाकथित शिक्षित होकर भी अशिक्षित ही हैं।''

PS Jul-Dec'21_feb'11 pror shiksha.qxd 12/18/2021 1:33 PM Page 11

पढ़ने की प्रक्रिया का समाज–सांस्कृतिक और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य

–रजनी

भारतीय कक्षाओं में आमतौर पर पढ़ना सीखने और सिखाने को टुकड़ों में बाँटकर देखा जाता है। कक्षाओं में शिक्षिकाओं और शिक्षकों का पूरा ध्यान विद्यार्थियों को वर्णमाला, मात्राएँ, बारहखड़ी रटाने–दोहराने व सुलेख–इमला लिखवाने के अभ्यासों पर ही केंद्रित रहता है। जबकि पढ़ने की प्रक्रिया को लेकर पिछले दशकों में बहुत से शोधार्थियों ने काम किया है और इस बात पर सहमति जताई है कि पढ़ना लिखी हुई सामग्री से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है (रीडिंग फ़ॉर मीनिंग; 2008)। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई तरह की परस्पर संबंधित जानकारियों की आवश्यकता होती है। पढ़ना केवल लिखित शब्दों व चिंह्नों को डिकोड करना नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा व्यापक है। जाग्रति व नव जागरण के उपरांत ज्ञान के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए जहाँ ज्ञान को प्रत्यक्षवादी दायरों से निकाल कर सामाजिक–सांस्कृतिक व आलोचनात्मक संदर्भों में समझने का प्रयास किया गया। पढ़ने की प्रक्रिया के विशेष संदर्भ में यह परिवर्तन किस तरह की समझ को प्रस्तुत करते है? यह जानना अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। पढ़ने को व्यापक स्तर पर समझने से पूर्व यह देखना भी आवश्यक है कि 'पढ़ने' को लेकर एक सामान्य समझ क्या रही है?

पारंपरिक रूप से पढ़ने को केवल 'डिकोडिंग' करने की संकुचित प्रक्रिया की तरह समझा जाता रहा है। इस प्रक्रिया का मुख्य ध्येय केवल मौखिक और लिखित कुशलता को प्राप्त कर लेना है। पढ़ने की पारंपरिक विधि में 'बॉटम–अप' पद्धति का प्रचलन था। इसमें पढ़ने को सीखने के एक खास तरह के क्रम में देखा जाता था तथा इसमें सर्वप्रथम वर्ण–ध्वनि, अक्षर, शब्द, वाक्य व अर्थ आदि का क्रम ही प्रचलित रहा है। इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार पढ़ने–लिखने के लिए निर्देशित निहितार्थ केवल 'डिकोडिंग' में पारंगत हो जाना है। जिसमें अक्षरों के क्रम और ध्वनियों से अक्षरों के संबंध को पहचान कर उनका उच्चारण कर लेना ही पढ़ना सीख लेना है। यह दृष्टिकोण पढ़ने के प्रकार्यात्मक पहलुओं को नकार कर उसके औपचारिक पहलुओं पर ही जोर देता है।

जबकि पढ़ने का 'समाज–सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य' यह कहता है कि पढ़ना एक प्रकार की यात्रा है जिसमें पाठक अपने जीवन के संपूर्ण अनुभवों को पाठ से जोड़कर उस लिखित पाठ का अर्थ निर्माण करते हैं। पढ़ने का यह विचार अर्थ को महत्वपूर्ण मानता है तथा विभाजित प्रक्रिया द्वारा पढ़ना सीखने के स्थान पर लिखित पाठ के संदर्भगत अर्थ को पढ़ने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण मानता है। प्रस्तुत लेख में पढ़ने की प्रक्रिया के समाज–सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को पिछले दशकों में हुए शोध व

सैद्धांतिकी, जैसे – फ्रैंक स्मिथ (अंडरस्टैडिंग ऑफ रीडिंग), गुड मैन (रीडिंग इज़ ए साइको–लिंगुस्टिक गेम), एंडरसन का 'स्कीमा सिद्धांत', 'मेटाकॉग्निशन सिद्धांत', रोजनब्लेट की 'ट्रांज़िक्शन ध्योरी ऑफ रीडिंग' व पढ़ने के आलोचनात्मक उपागम के माध्यम से समझने का प्रयास किया गया है।

'पढ़ना क्या है?'

''पढ़ना दुनिया में सबसे स्वाभाविक प्रक्रिया है। बच्चे की दुनिया में कुछ भी अस्वाभाविक नहीं होता। दुनिया की प्रत्येक वस्तु प्राकृतिक है। छपी हुई सामग्री दुनिया का ही एक अन्य पहलू है। बच्चे जिस वस्तु के संपर्क में आते हैं उससे दुनिया की समझ बनाते हैं। समझने की यह प्रक्रिया बहुत स्वाभाविक है, इसी प्रकार पढ़ना भी एक प्रकार की स्वाभविक गतिविधि है। पढ़ना उतना ही स्वाभाविक है जैसे कि किसी व्यक्ति के चेहरे के भावों को समझना। इस प्रकार पढ़ना सीखना किसी तरह का रॉकेट साइंस नहीं है। एक बच्चा जिस तरह अपने आस–पास के परिवेश की समझ बनाता है, ठीक उसी प्रकार वह लिखित प्रिंट की भी समझ बनाता है। यह उतना ही स्वाभाविक है, जितना कि जीवन के अन्य बोधात्मक कार्य'' (स्मिथ, 1971)।

पढ़ना केवल लिखित सामग्री को 'डिकोड' करना नहीं है, बल्कि वह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें हम लगातार अर्थ का निर्माण कर रहे होते हैं। जब हम किसी घटना या टेक्स्ट से अर्थ निर्माण कर रहे होते हैं, तब हम घटना की हर बारीकी पर ध्यान देने की बजाय उसकी समग्रता के आधार पर उसकी व्याख्या करते हैं।

''हर प्रकार का सीखना और समझना किसी घटना को उसके संदर्भ में व्याख्यायित करना है। किसी भी लिखित सामग्री को कई तरह से पढ़ा जा सकता है'' और हर तरह से पढ़ना समग्रता में उसकी व्याख्या करना है। उससे अर्थ निकालना है। जैसे किसी कार की पहचान करते हुए आप उसके टायर और हेड लाइट की चिंता नहीं करते, ठीक वैसे ही पढ़ते समय हमें विशिष्ट अक्षरों यहाँ तक की शब्दों की भी चिंता नहीं रहती'' (स्मिथ,1971)।

सार्थक रूप से 'पढ़ने' का अर्थ है लिखित सामग्री को समझना

''हमारे पास जानकारी बहुत–सी कोटियों में होती है जिसे हम एक–दूसरे से जोड़कर व्यवस्थित करते हैं। यही व्यवस्था हमारा ज्ञान बनती है। यह 'ज्ञान' अब तक के हमारे व्यक्तिगत अनुभवों के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसकी सहायता से हम दुनिया को समझते हैं और उसकी व्याख्या करते है।'' व्यक्तिगत अनुभव पढ़े गए पाठ की व्याख्या करने व समझने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहाँ पढ़ना वाचन करने से भिन्न हो जाता है। अब यह समझा जाए कि समझना क्या है? ''समझ किन्हीं कौशलों व प्रक्रियाओं की तुलना में एक अवस्था है।'' जिसमें हम नये ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ते हुए उसका अर्थ निर्मित कर नये ज्ञान को ग्रहण करते है। किसी नये ज्ञान

को अपने स्कीमा से जोड़ पाना ही अधिगम है। हम पढ़ना भी ऐसे ही सीखते हैं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।

पढ़ना – एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया

बच्चे जब पढ़ने की प्रक्रिया में संलग्न होते है, तब वे केवल शब्दों को तोड़कर नहीं पढ़ते, बल्कि, वे लिखित सामग्री को व्यापक संदर्भों से संबंद्ध करके उससे अर्थ निर्मित कर रहे होते हैं और लिखित सामग्री की संदर्भ विशेष में व्याख्या कर रहे होते हैं। अर्थ निर्माण की इस प्रक्रिया में केवल लिखित सामग्री ही शामिल नहीं होती, बल्कि उसके व लेखक के विचार के साथ शामिल होता है पाठक व उसका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिवेश। एक पाठक जब लिखित सामग्री के संपर्क में आता है तो वह अपने तमाम अनुभवों को एकत्रित कर उस लिखित सामग्री से अर्थ निर्मित करता है।

पढ़ना – एक संयोजित प्रक्रिया

पढ़ना एक संयोजित प्रक्रिया है, जिसमें पाठ, संदर्भ, अनुभव, पाठक का परिवेश व अनुमान शामिल होते है। किसी भी पाठ को कुशलता से पढ़ने व समझने में ये सभी पक्ष महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से अनेक पक्षों पर अब तक के आलेख में प्रकाश डाला जा चुका है। लेकिन अनुमान की चर्चा होनी बाकी है। अनुमान लगाना पढ़ने को प्रवाहमय व बोधगम्य बनाता है। पढ़ने की प्रक्रिया में अंदाजा लगाना अपने आप में महत्वपूर्ण है। अनुमान की आवश्यकता पर बात करते हुए स्मिथ सवाल पूछते हैं कि हमें अनुमान क्यों लगाना चाहिए? क्या हम यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि दुनिया में कभी भी, कुछ भी हो सकता है और इस तरह हम खुद को तमाम तरह की संभावनाओं से मुक्त कर लें। नहीं, हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि इसकी तीन मुख्य वजह हैं, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, वहाँ हमारी स्थितियाँ बदलती रहती हैं। जो हो रहा है, उसकी बजाय हम निकट भविष्य में क्या हो सकता, उसके लिए ज्यादा चिंतित रहते हैं।

हमें विभिन्न विकल्पों में से किसी एक उचित विकल्प का चयन करना होता है, इसलिए हम अंदाज लगाते है ताकि किसी संभावित उचित विकल्प को चुना जा सके। ऐसा न करने पर हम संभावनाओं से ही घिरे रह जाएँगे। अनुमान, पाठ में आने वाली अस्पष्टताओं को कम करता है और पाठक को पाठ की समझ के अनेक विकल्पों में से समय विशेष पर किसी एक विकल्प को चुनने में मदद करता है। अनुमान लगाना पढ़ने का केंद्र है। हमारे द्वारा देखी गई जगह नाटक, वस्तुएँ, सुनी गई कहानियाँ और बातें, पढ़ी गई किताबों और विमर्श किसी भी लिखित सामग्री को समझने व पढ़ने का आनंद लेने में हमारी मदद करते हैं।

पढ़ने के संदर्भ में फ्रैंक स्मिथ के ये विचार पढ़ने के समाज–सांस्कृतिक व्यवहार को चित्रित करते हैं। ये विचार पढ़ने को एक प्रकार की संयोजित प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, जहाँ पाठक लिखित पाठ को समझने के लिए अपने अनुभव व अनुमानों का प्रयोग करते हैं। यह सभी बातें स्पष्ट करती

हैं कि पढ़ना कभी भी एक रेखीय प्रक्रिया नहीं हैं। पढ़ने की प्रक्रिया में समाज–संस्कृति से प्राप्त अनुभव लगातार शामिल होते रहते हैं। पाठ साहित्य व संस्कृति के संपर्क में आने से समृद्ध होते हैं। इसलिए आवश्यक है कि शुरूआती पाठकों के लिए एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए जिसमें पढ़ने के लिए बहुत–सी किताबें और अन्य पठन–सामग्री प्रचूर मात्रा में हो।

पढ़ना – एक मनोसामाजिक प्रक्रिया

पढ़ने को लेकर गुड मैन का मानना है कि पढ़ना केवल शब्दों की डिकोडिंग नहीं है। सामान्यतः पढ़ने को लेकर यह माना जाता रहा है कि पढ़ना एक 'कॉमन सेंस' है जिसमें शिक्षण और सीखना ही शामिल है। जबकि पढ़ने की प्रक्रिया एक व्यापक परिघटना है। पढ़ने को एक विधिपूर्ण प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है जिसमें एकदम सही विवरण में दिए गए वर्ण, शब्द, उच्चारण और भाषा की व्यापक इकाई के पैटर्न्स की पहचान शामिल है। ध्वनिक केंद्रित उपागम ध्वनि पर, एक रूमिप केंद्रित उपागम रूपिम पर बल देते हैं। इस विधिपूर्ण विचार के अनुसार, देखकर शब्दों को पहचानना, उनको नाम देना भर ही पढ़ना है। इस विधि में पढ़ने के दौरान लगातार चलने वाली एक वैचारिक प्रक्रिया को ध्यान नहीं दिया जाता। पढ़ना सीखने–सिखाने को लेकर यह एक प्रकार की भ्रांति है। इस भ्रांति की जगह यदि व्यापक रूप से पढ़ने की प्रक्रिया को समझें तो पाएँगे कि पढ़ना एक प्रकार की चयनित प्रक्रिया है, जिसमें दृश्य सूचना के साथ भाषा का एक आंशिक अनुमान व पाठक की अपेक्षाएँ शामिल होती हैं। सरल शब्दों में कहें तो पढ़ना एक प्रकार का 'गेसिंग गेम' (Guessing Game) है। इसमें भाषा एवं विचार का अंतः संपर्क शामिल होता है। एक प्रकार का कुशल पठन केवल संक्षिप्त प्रत्यक्ष तत्वों की पहचान पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि इस मार्ग में निहित कुछ महत्वपूर्ण संकेत के चयन का कौशल भी शामिल हैं।

गुड मैन ने अपना 'साइकोलिंग्विस्टिक गेसिंग गेम' मॉडल प्रस्तुत किया है, जो इस प्रकार है –

- पाठक पूरे पृष्ठ को लाइन के साथ–साथ प्रिंट को लेफ्ट और राइट व ऊपर से नीचे की ओर पढ़ते हुए आता/ती है।
- उसकी आँखों का फ़ोकस प्रिंट के किसी एक भाग पर ज़्यादा केंद्रित होता है, जबकि कुछ हिस्से कम फ़ोकस और 'पेरिफ़ैरल' हो जाते हैं।
- पाठक पाठ से अपने संज्ञानात्मक स्तर के आधार पर व पूर्व ज्ञान के आधार पर ग्रफ़िक से कही संकेत को चयन कर इस प्रक्रिया में आगे बढ़ता/बढ़ती है।
- इन संकेतकों के आधार पर कुछ इमेज बनती है जो या तो उसने कभी देखी होती है या फिर वह इस तरह की ही इमेज को पाठ में देखना चाहता/ती है।
- अब वह चयन किए गए ग्राफ़िक के लिए वाक्य और अर्थ को खोजता है जिसके लिए वह और ग्राफ़िक संकेतों का इस्तेमाल करता है तथा सोची गई इमेज को इन सभी बिंदुओं से अर्थ देने की कोशिश करता/करती है।

- इस तरह एक अनिश्चित अर्थ 'शार्ट टर्म मेमोरी' में चला जाता है।
- अगर कोई अनुमान नहीं मिलता तो वह दोबारा से दृश्य कोड को चुनता है और उन्हें डिकोड करता है।
- यदि डिकोडिंग इच्छा अनुसार हो जाती है तो वह उसका अर्थ विज्ञान से व व्याकरण से उचित व स्पष्ट कारण ढूँढ़ता/ती है।
- अगर चयन किया गया विकल्प अर्थ विज्ञान और वाक्य विज्ञान के अनुसार उचित नहीं बैठता तब फिर से पूरे प्रिंट को लेफ़्ट से राइट व ऊपर से नीचे दोबारा से स्कैन किया जाता है और पाठ से कुछ संकेत ढूँढ़ें जाते हैं, जैसे ही पाठक को वह बिंदु मिल जाता है जो बिना किसी बाधा के अर्थ को पूरा करता है और पूर्व ज्ञान से जुड़ जाता है, तो डिकोडिंग की यह प्रक्रिया आगे बढ़ती जाती है।
- इस तरह यह चक्रीय प्रक्रिया आगे बढ़ती जाती है।

गुडमैन का 'रीडिंग मॉडल' पढ़ने के चरणों की एक वैज्ञानिक और संगठित व्यवस्था को प्रस्तुत करता है। इस मॉडल के अनुसार पढ़ना डिकोडिंग करने जैसी यात्रिक प्रक्रिया मात्र नहीं है, बल्कि वह एक प्रकार का अनुमान लगाने वाला गेम है, जहाँ लगातार प्रत्येक स्तर पर विश्लेषण की प्रक्रिया चलती रहती है। इस बात को समझाने के लिए ब्रेवन ने पढ़ने के 'मेटाकॉग्निशन सिद्धांत' की संज्ञा दी है।

पढ़ने की प्रक्रिया व 'मेटाकॉग्निशन'

'मेटाकॉग्निशन सिद्धांत' के अनुसार, पढ़ने के दौरान लगातार अर्थबोध के लिए सक्रिय मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब भी किसी पाठ को पढ़ा जाता है तो उसमें अनुमान लगाना, चेक करना, मॉनिटरिंग करना, वास्तविक स्थितियों में पढ़े गए पाठ की जाँच करना आदि कुशल रूप में सोचने, पढ़ने और समझने के आधारभूत यंत्र हैं। ये सभी यंत्र 'मेटाकॉग्निशन' कौशल कहलाते हैं। पढ़ना सीखने और सिखाने में 'मेटाकॉग्निशन' कौशल को विकसित करना बहुत आवश्यक है। 'मेटाकॉग्निशन' का अर्थ है अपनी समझ को समझना। स्वयं की समझ को समझने के लिए सचेत रूप से मॉनिटरिंग बहुत आवश्यक है। 'मेटाकॉग्निशन' का सिद्धांत इन्हीं मॉनिटरिंग कौशलों के प्रयोग को पढने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण मानता है। इस सिद्धांत के अनुसार पढ़ने की समझ बना पाना व पाठ की समझ प्राप्त करना ही पढ़ने की प्रक्रिया है। इसलिए पढने के दौरान अर्थबोध को मजबूत बनाने के लिए कुछ 'मेटाकॉग्निशन' कौशलों का प्रयोग बहुत आवश्यक है, जो इस प्रकार हैं –

- पढ़ने के उद्देश्यों का स्पष्ट होना।
- पढ़ने को जीवन की वास्तविक स्थितियों से जोड़कर देखना।
- पाठ के महत्वपूर्ण पहलुओं की पहचान करना।
- अपनी समझ को लगातार मॉनिटर करना।

- निर्धारित उद्देश्य तक पहुँचने के लिए लगातार विवेचना करते रहना।
- समझ न आने की स्थिति में यह पहचान कर पाना की कौन से कारणों की वजह से समझ नहीं आ रहा है व सही निर्णय ले पाना।
- उन सभी स्वैच्छिक गतिविधियों से निकल कर पढ़ने को सार्थक बना पाना जो उसे प्रभावित करती हैं।

पढ़ने का 'मेटाकॉग्निशन सिद्धांत' भी पढ़ने की प्रक्रिया में व्याप्त मनोसामाजिक पहलुओं की विवेचना करता है। यह सिद्धांत बताता है कि एक कुशल पाठक बनने के लिए अपने तमाम अनुभवों पर सोचना पढ़ता है। पढ़ने के लिए लगातार अपनी समझ को मॉनिटर करना बोध को बढ़ाता है। मॉनिटर करने की इस पूरी प्रक्रिया में 'स्कीमा' महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पढ़ने के संदर्भ में 'स्कीमा सिद्धांत' यह बताता है कि पढ़ना केवल लिखे हुए वर्ण, अक्षरों व वाक्यों को डिकोड कर लेना नहीं हैं।

जैसा कि पढ़ने की 'बॉटम–अप पद्धति' बात करती है, जिसमें पढ़ने को एक यांत्रिक प्रक्रिया की तरह देखा जाता है। वहीं, 'स्कीमा थ्योरी' के अनुसार लिखित पाठ को अपने सामाजिक–सांस्कृतिक अनुभवों के ढ़ाँचे में व्याप्त ज्ञान से जोड़कर उसका अर्थ निर्माण करना है। 'स्कीमा' ज्ञान का संगठन है। यह संगठन लिखित पाठ के अर्थबोध में निर्णयक भूमिका निभाता है। जब हम किसी भी नए पाठ को पढ़ते हैं तो उसे अपने अनुभवों से अर्थ देते हैं। आइए, इस बात को एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। ''सरकार ने वातानुकूलित बस यात्रा शुल्क में 50 प्रतिशत की वृद्धि की।'' मान लीजिए किसी स्थानीय समाचार–पत्र में उपर्युक्त खबर छपती है। इस खबर को पढ़ने और उसका वाचन (डिकोडिंग) करने में क्या अंतर होगा? वाचन यानि उच्चारण, बलाघात आदि की स्पष्टता और उपयुक्तता। इस खबर को पढ़ने का मतलब है इस खबर की अलग–अलग छवियों को अनावृत करना। इस खबर में सरकार का बसों में यात्रा करने वाले व्यक्तियों, सड़क पर चलने वालों, महिलाओं, बच्चों, विद्यार्थियों व गरीब परिवारों आदि के लिए क्या–क्या संदेश हैं? उन संदेशों को तलाशना और उनके बारे में राय कायम करना, पढ़ना है। इस खबर की अलग–अलग छवियों का अनावरण तभी संभव है जब इससे संबंधित जरूरी ज्ञान का 'स्कीमा' हमारे पास हो और इस जरूरी ज्ञान की मदद से इस खबर में समाए अलग–अलग संदेशों को तलाश कर राय बना पाएँ।

हमारे पास जानकारी बहुत–सी कोटियों में होती है, जिसे हम एक दूसरे से जोड़कर व्यवस्थित करते हैं। यही व्यवस्था हमारा ज्ञान बनती है। यह 'ज्ञान' अब तक के हमारे व्यक्तिगत अनुभवों के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसकी सहायता से हम दुनिया को समझते है और उसकी व्याख्या करते है। व्यक्तिगत अनुभवों का यह सिद्धांत पढ़े गए पाठ की व्याख्या करने व समझने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहाँ पढ़ना वाचन करने से भिन्न हो जाता है। एंडरसन ने अपने एक प्रयोग में (जिसमें अमेरिकन बच्चे भारतीय हिन्दू विवाह को अपनी संस्कृति के अनुसार समझ कर

PS Jul-Dec'21_feb'11 pror shiksha.qxd 12/18/2021 1:33 PM Page 17

व्याख्या करते हैं।) यह सिद्ध किया कि किस प्रकार सामाजिक–सांस्कृतिक अनुभव घटनाओं को समझने में मदद करते हैं व पूर्व ज्ञान के आधार नए ज्ञान को अर्थ देने में मदद करते हैं। अर्थ निर्माण की इस प्रक्रिया में यदि किसी भी तरह के लिखित पाठ व साहित्य को लें तो पाएँगे कि पाठ को पढ़ते समय प्रत्येक पाठक अपने प्रतिउत्तरों (रिस्पेंसिज़) को तय करते हैं जिसमें उनके जीवन के अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं।

रोजनब्लेट (1946) ने साहित्य पाठ को पढ़ने के दौरान पाठक द्वारा तय किए गए प्रतिउत्तरों के लिए वास्तविक जीवन अनुभवों को महत्वपूर्ण माना है। पढ़ने को रोजनब्लेट पाठक व पाठ के बीच हुए अर्थ के 'हस्तांतरण' की तरह देखती हैं, जिसमें संस्कृति से प्राप्त अनुभव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह सिद्धांत पढ़ाने के भावुक पहलुओं को किसी भी पाठ से जुड़ने के लिए महत्वपूर्ण मानता है। इसके अनुसार पढ़ना केवल पाठ से सूचनाएँ निकालना नही है, बल्कि इसका मौलिक आधार 'लिविंग थ्रू एक्सपीरियंस' को पढ़े हुए से जोड़ना है। लिखित पाठ को अर्थ देने के लिए पाठक का पाठ से जुड़ना बहुत ज़रूरी है और पाठक, पाठ से तभी जुड़ता/जुड़ती है जब वह अपने जीवन के अनुभवों को पाठ से जोड़ पाए। किसी पाठ को पढ़ते समय पाठक अपने अनुभवों के आधार पर उस पाठ से अर्थ निर्मित करता/करती है। प्रतिउत्तरों (रिस्पोंसिज़) के केंद्र में अनुभव समाहित होते हैं। पाठकों की पृष्ठभूमियों की भिन्नता के चलते प्रतिउत्तरों में भी भिन्नता होती है। पढ़ने का यह सिद्धांत पाठ से अर्थ के निर्माण में प्रमुख रूप से पाठक के सामाजिक–सांस्कृतिक अनुभवों को महत्व देता है, जहाँ केवल पाठ ही प्रमुख नहीं है, बल्कि पाठक और उसके जीवन से जुड़े अपने अनुभव भी महत्वपूर्ण हैं।

पढ़ने का आलोचनात्मक सिद्धांत

पढ़ने का यह विचार बताता है कि पढ़ना एक सांस्कृतिक गतिविधि है, इसलिए पढ़ने को विमर्श के दायरे में लाना आवश्यक है। आलोचनात्मक उपागम तमाम तरह की शैक्षिक गतिविधि को शक्ति, सत्ता व सामाजिक पुनरूत्पादन के संदर्भ में देखता है। इसलिए यह उपागम पढ़ने के दौरान सतही चीज़ों के साथ–साथ ज्ञान, भक्ति व वर्चस्व के संबंध को उजागार करने पर बल देता है। पढ़ने का यह सिद्धांत वर्चस्व की संस्कृति से ज्ञान की वैधता की बात करता है। यह विचार मानता है कि प्रायः स्कूलिंग द्वारा भाषा शिक्षण के अंतर्गत विशेषकर पढ़ने व समझने के दौरान शक्ति संबंधों को पुख्ता किया जाता है और वर्चस्व को बनाए रखने के सतत प्रयास किए जाते है। जबकि, पढ़ने के दौरान समाज की बुनावट में असमानता के ढाँचों की जाँच करने, शक्ति संबधों को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनैतिक संदभों में समझाने का प्रयास भी किया जा सकता है। इस बात को पिछले पृष्ठ पर दिए उद्धरण 'सरकार' ने वातानुकूलित बसों के शुल्क में 50 प्रतिशत वृद्धि की, आलोचनात्मक संदर्भ में समझने के लिए आवश्यक है कि पहले इस बात पर गौर किया जाए कि सरकार के इस फैसले से किस–किस वर्ग के लोग प्रभावित होंगे और किस तरह? इस निर्णय का

मज़दूर वर्ग, छात्र–छात्राओं व संपन्न वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। संभवतः यह निर्णय एक खास वर्ग को इस सुविधा से वंचित कर दे, ऐसे में समाज में असमान शक्ति संबंधों के स्तर पर विश्लेषण की क्षमता को विकसित करने पर बल देता है।

निष्कर्ष

पढ़ने का समाज–सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य पढ़ने को मात्र चिह्नों के वाचन तक सीमित न रखकर उसे जीवन व व्यक्ति के निजी अनुभवों से जोड़ते हुए उसके मनोवैज्ञानिक पक्षों को उजागर करता है। जबकि आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य जीवन व अनुभवों को सार्थक मानते हुए लिखित पाठ के अर्थ को राजनैतिक व आर्थिक संदर्भों में फैलाने की बात करता है।

संदर्भ

1. इगाल्टन, टेरी, 1996, लिटररी थ्योरी – एन इंट्रोंडक्शन. ब्लॅकवेल पब्लिकेशन, ऑक्सफ़ोर्ड।
2. कुमार, कृष्ण. 2004. शैक्षिक ज्ञान का वर्चस्व. राजकमल प्रकाशन, दिल्ली।
3. गिरू, हेनरी. 1994. साक्षरता, विचारधारा और विद्यालय शिक्षा. परिप्रेक्ष्य. न्यूपा, नई दिल्ली।
4. संस्कृतिकर्मी और शिक्षा की राजनीति. 2014, ग्रंथ शिल्पी, दिल्ली।
5. फ्रेरे, पाउलो. 2010. उम्मीदों का शिक्षाशास्त्र. ग्रंथ शिल्पी प्रकाशन, दिल्ली।
6. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 2006. राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005. रा.भौ. अ.प्र.प., नई दिल्ली।
7. रीडिंग फॉर मीनिंग. रा.भौ.अ.प्र.प., 2008, नई दिल्ली।
8. रोजनब्लेट, लुईस. 2005. मेकिंग मीनिंग विद टेक्स्ट. हीनीमन पॉर्ट्समाउथ, एनएच।
9. सिंह बिरेंदर रावत. 2016, भाषा शिक्षण की आलोचनात्मक दृष्टि. यश प्रकाशन, दिल्ली।
10. सिन्हा, शोभा. 2012. रीडिंग विदाउट मीनिंग – द डिलेम्मा ऑफ इंडियन क्लासरूम. लैगवज एंड टीचिंग.ए,पी.यू. बेंगलुरू।
11. स्कार्सी. जे. टिमथी. 1993, इमेज, आइडियोलॉजी एंड इनिक्वलिटी. सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
12. स्मिथ, फ्रैंक. 1971. अंडरस्टैडिंग ऑफ रीडिंग. एल.ई.ए., न्यू जर्सी।

○○○○○

''विश्व एक व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं।''

–स्वामी विवेकानन्द

PS Jul-Dec'21_feb'11 pror shiksha.qxd 12/18/2021 1:33 PM Page 19

प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल के विकास हेतु व्यूह रचनाओं का निर्माण एवं प्रभावशीलता का अध्ययन

– वन्दना चौबीसा
– सरोज गर्ग

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जन्म से ही वह सीखने के एक अनवरत क्रम से जुड़ जाता है। मनुष्य जिस साधन से ज्ञान अर्जित करता है, उसी का नाम शिक्षा है। शिक्षा उस दीपक के समान है जो व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन को प्रकाशित कर उसे समाज में रहने योग्य बनाती है।

श्रवण कौशल :

श्रवण शब्द 'श्रु' धातु से बना है जिसका संबंध सुनने की क्रिया, ध्यानपूर्वक सुनना, अध्ययन करना, अधिगम करना, मौखिक संवाद आदि से है। श्रवण अंग्रेजी के "लिसनिंग" का पर्याय है, जिसका अर्थ है – अर्थ निर्णय या अर्थ निष्पादन की प्रक्रिया।

श्रवण कौशल भाषायी ज्ञान का प्रमुख कौशल है। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया सामान्य रूप से विद्यालयों में श्रवण कौशल के माध्यम से ही प्रारम्भ होती है। शिक्षक द्वारा सर्वप्रथम बालक में श्रवण कौशल का विकास किया जाता है क्योंकि जब तक छात्र किसी भी तथ्य को ध्यानपूर्वक श्रवण नहीं करेगा तब तक वह ज्ञान को आत्मसात नहीं कर सकता है। इसलिए शिक्षक द्वारा श्रवण कौशल विकसित करने हेतु छात्रों के रूचि का ध्यान रखते हुए उनके समक्ष सामग्री प्रस्तुत की जाती है। विदित है कि रूचिपूर्ण तथ्यों को छात्र ध्यानपूर्वक श्रवण करता है। जैसे प्राथमिक स्तर पर छात्रों को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। परन्तु शिक्षक द्वारा कहानी के स्थान पर व्याकरण का ज्ञान दिया जाना प्रारम्भ कर दिया जाता है, तो छात्र शिक्षण के व्याकरण सम्बंधी ज्ञान पर ध्यान नहीं देता अर्थात् उसके द्वारा प्रस्तुत ज्ञान को ना तो छात्र श्रवण करेगा और नहीं आत्मसात करेगा। इसके विपरीत छात्रों को शिक्षक द्वारा उनकी रूचि के अनुसार सर्वप्रथम कहानी सुनाई जाती है तथा उनकी रूचि को पूर्ण करते हुए व्याकरण सम्बंधी ज्ञान के लिए मानसिक रूप एवं शारीरिक रूप से तैयार किया जाता है तो यह छात्रों को रुचिकर प्रतीत होता है।

सामान्यतः कानों के माध्यम से ध्वनि ग्रहण करने की क्रिया को सुनना कहा जाता है। श्रवण कौशल अर्थात् सुनने की निपुणता के अन्तर्गत श्रोता की सक्रियता का समावेश रहता है। रूचि तथा अवधान के साथ सुनने वाला श्रोता भाषा की ध्वनियों, ध्वनि–संयोगों को सही रूप मे केवल सुनता ही नहीं वरन् सुनी हुई भाषा (शब्द, वाक्य) का अर्थ समझने की चेष्टा भी करता है। श्रवण कौशल के अन्तर्गत तीन

PS Jul-Dec'21_feb'11 pror shiksha.qxd 12/18/2021 1:33 PM Page 20

प्रकार की शक्तियों का समावेश किया जाता है।

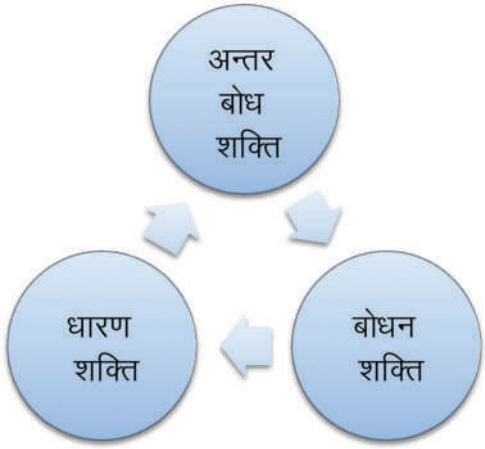

अतः कहा जा सकता है कि वक्ता के उच्चारण/भाषण का श्रोता पर सक्रिय प्रभाव पड़ता है और इसलिए श्रवण एक सक्रिय तथा सोद्देश्य क्रिया है। भाव ग्रहण का मुख्य आधार होने के कारण श्रवण कौशल मुख्य कौशल है तथा भाषा–शिक्षण में उसका प्रमुख स्थान हैं।

किसी भी भाषा को सीखने की पहली शर्त है – उस भाषा को सुनना या श्रवण करना। द्वितीय भाषा – शिक्षण का चरम लक्ष्य है – उस भाषा में सम्प्रेषण का चरम विकास करना। सम्प्रेषण से पूर्व उसका ग्रहण अनिवार्य हैं। जब तक श्रोता अध्येय भाषा के वक्ता के शब्दों एवं वाक्यों (संरचनाओं, सुर, आघात, ध्वनि गुणों, अनुतान के योग) को सुनकर समझने में कठिनाई का अनुभव करता है तब तक उसका सम्प्रेषण/अभिव्यक्ति पक्ष परिपक्व नहीं हो पाता है। अतः भाषा शिक्षण में श्रवण कौशल का विकास एक महत्वपूर्ण सोपान है।

इस प्रकार श्रवण कौशल के दो मुख्य अंग या पक्ष कहे जा सकते हैं:–

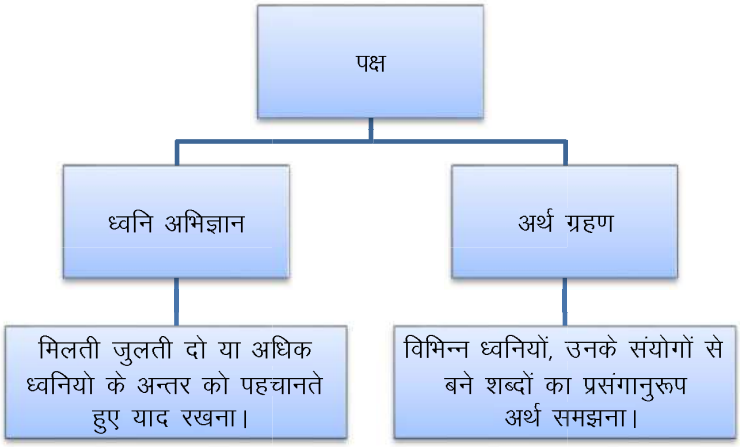

श्रवण कौशल विकसित करने की प्रक्रिया के दो मुख्य अंग है :– (1) सामान्य श्रवण, (2) चयनात्मक श्रवण।

श्रवण कौशल के उद्देश्य :

1. सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना।
2. छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति रूचि पैदा करना।
3. छात्रों को साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने व सुनने के लिए प्ररित करना।
4. श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना।
5. धैर्यपूर्वक सुनना, सुनने के शिष्टाचार का पालन करना।
6. ग्रहणशीलता की मनःस्थिति बनाए रखना; शब्दों, मुहावरों, उक्तियों का प्रसंगानुकूल भाव व अर्थ समझ सकना।
7. वक्ता के मनोभावों को समझने की निपुणता पैदा करना।
8. श्रुत सामग्री के विषय को भली भांति समझने की योग्यता उत्पन्न करना।

श्रवण कौशल का महत्व :

बच्चा जन्मोपरान्त ही सुनने लग जाता है। सुनी हुई ध्वनियां उसके मन–मस्तिष्क पर अंकित हो जाती हैं। यह अंकित ध्वनियां ही बच्चे के भाषा ज्ञान का आधार बनती हैं। अच्छी प्रकार से सुनने के कारण ही बालक ध्वनियों के सूक्ष्म अन्तर को समझ पाता है। श्रवण कौशल ही अन्य भाषायी कौशलों को विकसित करने का प्रमुख आधार बनता है।

श्रवण कौशल के महत्व को निम्न बिन्दुओं के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है :

1. ध्वनियों के सूक्ष्म अन्तर को पहचानना।
2. अध्ययन की आधारशिला।
3. भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति।
4. वाचन कौशल का विकास।
5. लेखन कौशल का विकास।
6. व्यक्तित्व का विकास।
7. विभिन्न साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्राप्ति में सहायक।

विद्यार्थियों में श्रवण कौशल के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह बालकों को सुनने और बोलने की प्रक्रिया में सक्रिय रखे क्योंकि श्रवण कौशल ही शुद्ध उच्चारण और बोलने की पृष्ठभूमि तैयार करता है। सस्वर वाचन, स्वरोच्चारण एवं श्रवण विधियों द्वारा श्रवण कौशल का विकास किया जा सकता है। आवश्यकता है तो केवल अभ्यास की। जितना श्रवण का अभ्यास किया जएगा उतना ही उच्चारण व अन्य कौशलों में सुधार आएगा।

श्रवण कौशल विकास के साधन :

1. वार्तालाप
2. वाक्य रचना

PS Jul-Dec'21_feb'11 pror shiksha.qxd 12/18/2021 1:33 PM Page 22

3. प्रश्नोत्तर
4. कहानी कथन
5. घटना वर्णन
6. यात्रा वर्णन

समस्या कथन :

प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल के विकास हेतु व्यूह रचनाओं का निर्माण एवं प्रभावशीलता का अध्ययन

शोध के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध के उद्देश्य इस प्रकार है–

1. प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल के विकास में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना।
2. प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल के विकास हेतु व्यूह रचनाओं का निर्माण करना।
3. प्राथमिक स्तर के नियंत्रित एवं प्रायोगिक समूह के प्राप्तांकों की तुलना कर श्रवण कौशल के विकास हेतु प्रयुक्त व्यूह रचनाओं की प्रभावशीलता का अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पनाएँ :

1. प्राथमिक स्तर के नियंत्रित एवं प्रायोगिक समूह के प्राप्तांकों की तुलना कर श्रवण कौशल के विकास हेतु प्रयुक्त व्यूह रचनाओं की प्रभावशीलता में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

शोध में प्रयुक्त न्यादर्श :

1. प्रस्तुत शोध कार्य को पूर्ण करने के लिए शोधार्थी द्वारा यादृच्छिक विधि से एक गैर राजकीय विद्यालय का चयन किया गया।

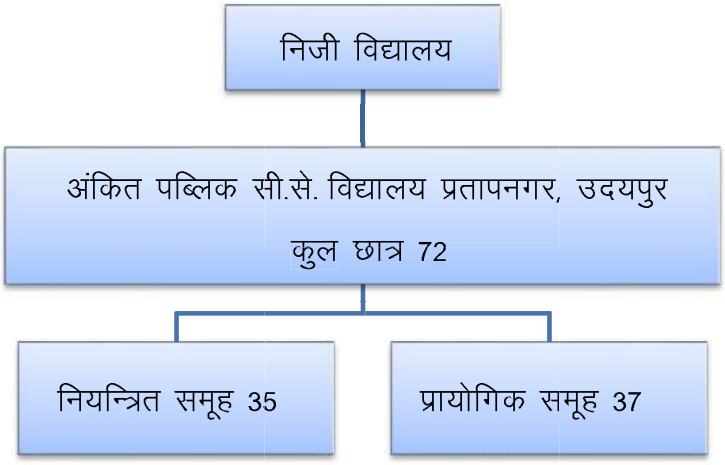

चयनित विद्यालय की पांचवी कक्षा के सभी छात्रों में से यादृच्छिक विधि से 72 विद्यार्थियों का चयन किया गया। चयनित 72 विद्यार्थियों के दो समूह लॉटरी विधि के द्वारा बनाए गए। पुनः सिक्का उछालकर एक समूह की प्रायोगिक एवं दूसरे समूह को नियंत्रित समूह के रूप में निर्धारित किया गया। इस प्रकार दोनों समूहों में 35–37 विद्यार्थियों को न्यादर्श में सम्मिलित किया गया।

शोध उपकरण :

शोधार्थी द्वारा स्वनिर्मित उपकरणों का निर्माण किया गया :

1. हिन्दी भाषायी कौशलों (श्रवण, उच्चारण, पठन, लेखन) की समस्याओं की जाँच करने हेतु समस्या जाँच परीक्षण।
2. हिन्दी भाषायी कौशलों (श्रवण, उच्चारण, पठन, लेखन) के विकास हेतु निर्मित व्यूह रचनाओं के प्रभाव को ज्ञात करने हेतु पूर्व परीक्षण।
3. हिन्दी भाषायी कौशलों (श्रवण, उच्चारण, पठन, लेखन) के विकास हेतु निर्मित व्यूह रचनाओं के प्रभाव को ज्ञात करने हेतु पश्च परीक्षण।
4. व्यूह रचनाएँ

समस्या का परिसीमन :

- प्रस्तुत शोध भाषायी कौशलों में श्रवण कौशल, भाषण कौशल, पठन कौशल एवं लेखन कौशल तक सीमित है।
- प्रस्तुत शोध उदयपुर जिले के एक गैर राजकीय विद्यालय के प्राथमिक स्तर के कक्षा–5 के विद्यार्थियों तक ही सीमित है।

अध्ययन विधि :

शोधार्थी द्वारा शोध अध्ययन हेतु प्रयोगात्मक विधि को चुना गया है।

कक्षा–कक्ष अवलोकन और समस्या जांच परीक्षण :

कक्षा–कक्ष अवलोकन और समस्या जांच परीक्षण से श्रवण कौशल सम्बन्धी जिन समस्याओं का पता चला वे इस प्रकार है :

श्रवण कौशल :

श्रवण कौशल का प्रतिशतवार विश्लेषण :

- श्रवण कौशल के प्रथम प्रश्न के भाग–1 पर 86.11 प्रतिशत, भाग–2 पर 65.28, भाग–3 पर 50 प्रतिशत, भाग–4 पर 29.17 प्रतिशत, भाग–5 पर 26.39 प्रतिशत, भाग–6 पर 36.11 प्रतिशत, भाग–7 पर 23.61 प्रतिशत, भाग–8 पर 25 प्रतिशत, भाग–9 पर 9.72 प्रतिशत तथा भाग–10 पर 5.56 प्रतिशत विद्यार्थियों ने सही उत्तर प्रदान किया है।
- श्रवण कौशल के द्वितीय प्रश्न के भाग–1 पर 84.72 प्रतिशत, भाग–2 पर 51.39, भाग–3 पर 1.39 प्रतिशत, भाग–4 पर 68.06 प्रतिशत, भाग–5 पर 48.61 प्रतिशत, भाग–6 पर 8.33

प्रतिशत, भाग–7 पर 31.94 प्रतिशत, भाग–8 पर 23.61 प्रतिशत, भाग–9 पर 70.83 प्रतिशत एवं भाग–10 पर 0.00 प्रतिशत विद्यार्थियों ने सही उत्तर प्रदान किया है।

श्रवण कौशल का प्रतिशवार विश्लेषण करने पर निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए :

1. विद्यार्थियों का कक्षा–कक्ष में ध्यानपूर्वक श्रवण नहीं करना।
2. शिक्षक द्वारा पाठ का सस्वर वाचन करते समय अधिकांश छात्रों का ध्यान श्रवण की तरफ न होकर बातचीत में व अन्य कार्यों की तरफ लगा रहना।
3. विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक के विषय–वस्तु के अलावा अन्य विषय वस्तु को श्रवण करने का अवसर बहुत कम मिलना इसलिए श्रवण में रूचि नहीं लेना।
4. ध्यानपूर्वक श्रवण नहीं करने से विद्यार्थी पाठ्यांश या विषयवस्तु का अन्तर्ग्रहण नहीं करना, जिससे शिक्षण अन्तःक्रिया में भी प्रश्नों का उचित उत्तर देने में असक्षम रहना।
5. श्रवण कौशल के विकास हेतु पर्याप्त अवसरों की अनुपलब्धता।
6. श्रवण कौशल का पर्याप्त विकास न होने से छात्रों में धैर्यपूर्वक सूनने का गुण का अविसिकत ही रह जाना। क्योंकि श्रवण कौशल पर अन्य तीन कौशल आश्रित हैं। जो श्रेष्ठ श्रोता होता है वहीं श्रेष्ठ वक्ता होता है और वहीं श्रेष्ठ पाठक और लेखक भी होता है।

सारणीयन एवं परिणाम विवेचना :

प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल के विकास में आने वाली समस्याओं का प्रतिशत मध्यमान के आधार पर विश्लेषण

क्र.सं.	कौशल का नाम	प्रतिशत मध्यमान	वरीयता क्रम
1.	श्रवण	37.6	III

प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल के विकास में कहानी व्यूहरचना की प्रभावशीलता का मध्यमान के आधार पर विश्लेषण

समूह	परीक्षण	मध्यमान	मध्यमानों के मध्य अन्तर	लब्धि
नियंत्रित	पूर्व	2.7	0.3	10.3
	पश्च	3.0		
प्रायोगिक	पूर्व	2.6	1.3	49.5
	पश्च	3.9		

प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल के विकास में कहानी व्यूहरचना की प्रभावशीलता का मध्यमान के आधार पर विश्लेषण

उपरोक्त सारणी एवं आरेख को देखने पर निम्नलिखित परिणाम परिलक्षित होते हैं :

व्याख्या :

प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल के विकास में कहानी व्यूहरचना की प्रभावशीलता हेतु नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों का पूर्व व पश्च परीक्षण के प्राप्त प्राप्तांकों का मध्यमान क्रमशः 2.7 और 3.0 प्राप्त हुआ है तथा दोनों परीक्षणों के मध्यमानों के बीच 0.3 का अन्तर पाया गया, जिसका लब्धि मान 10.3 प्राप्त हुआ।

इसी तरह प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल के विकास में कहानी व्यूहरचना की प्रभावशीलता हेतु प्रायोगिक समूह के विद्यार्थियों का पूर्व व पश्च परीक्षण के प्राप्त प्राप्तांकों का मध्यमान क्रमशः 2.6 और 3.9 प्राप्त हुआ है तथा दोनों परीक्षणों के मध्यमानों के बीच 1.3 का अन्तर पाया गया, जिसका लब्धि मान 49.5 प्राप्त हुआ।

दोनों समूहों के लब्धि मानों की तुलना करने पर यह कहा जा सकता हैं कि प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल के विकास में कहानी व्यूहरचना की प्रभावशीलता नियंत्रित समूह की अपेक्षा प्रायोगिक समूह पर अधिक पाई गई।

प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल के विकास में कविता व्यूहरचना की प्रभावशीलता का मध्यमान के आधार पर विश्लेषण

समूह	परीक्षण	मध्यमान	मध्यमानों के मध्य अन्तर	लब्धि
नियंत्रित	पूर्व	1.9	0.1	6.4
	पश्च	1.8		
प्रायोगिक	पूर्व	1.5	1.8	123.8
	पश्च	3.3		

प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल के विकास में कविता व्यूहरचना की प्रभावशीलता का मध्यमान के आधार पर विश्लेषण

उपरोक्त सारणी एवं आरेख को देखने पर निम्नलिखित परिणाम परिलक्षित होते हैं :

व्याख्या :

प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल के विकास में कविता व्यूहरचना की प्रभावशीलता हेतु नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों का पूर्व व पश्च परीक्षण के प्राप्त प्राप्तांकों का मध्यमान क्रमशः 1.9 और 1.8 प्राप्त हुआ है तथा दोनों परीक्षणों के मध्यमानों के बीच 0.1 का अन्तर पाया गया, जिसका लब्धि मान 6.4 प्राप्त हुआ।

इसी तरह प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल के विकास में कविता व्यूहरचना की प्रभावशीलता हेतु प्रायोगिक समूह के विद्यार्थियों का पूर्व व पश्च परीक्षण के प्राप्त प्राप्तांकों का मध्यमान क्रमशः 1.5 और 3.3 प्राप्त हुआ है तथा दोनों परीक्षणों के मध्यमानों के बीच 1.8 का अन्तर पाया गया, जिसका लब्धि मान 123.8 प्राप्त हुआ।

दोनों समूहों के लब्धि मानों की तुलना करने से यह कहा जा सकता हैं कि प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल के विकास में कविता व्यूहरचना की प्रभावशीलता नियंत्रित समूह की अपेक्षा प्रायोगिक समूह पर अधिक पाई गई।

प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल के विकास में सामान्य/असामान्य ध्वनि व्यूहरचना की प्रभावशीलता का मध्यमान के आधार पर विश्लेषण

समूह	परीक्षण	मध्यमान	मध्यमानों के मध्य अन्तर	लब्धि
नियंत्रित	पूर्व	2.6	0.3	9.7
	पश्च	2.8		
प्रायोगिक	पूर्व	2.6	1.4	53.8
	पश्च	3.9		

प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल के विकास में सामान्य/असामान्य ध्वनि व्यूहरचना की प्रभावशीलता का मध्यमान के आधार पर विश्लेषण

उपरोक्त सारणी एवं आरेख को देखने पर निम्नलिखित परिणाम परिलक्षित होते हैं :

व्याख्या :

प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल के विकास में सामान्य/असामान्य ध्वनि व्यूहरचना की प्रभावशीलता हेतु नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों का पूर्व व पश्च परीक्षण के प्राप्त प्राप्तांकों का मध्यमान क्रमशः 2.6 और 2.8 प्राप्त हुआ है तथा दोनों परीक्षणों के मध्यमानों के बीच 0.3 का अन्तर पाया गया, जिसका लब्धि मान 9.7 प्राप्त हुआ।

इसी तरह प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल के विकास में सामान्य/असामान्य ध्वनि व्यूहरचना की प्रभावशीलता हेतु प्रायोगिक समूह के विद्यार्थियों का पूर्व व पश्च परीक्षण के प्राप्त प्राप्तांकों का मध्यमान क्रमशः 2.6 और 3.9 प्राप्त हुआ है तथा दोनों परीक्षणों के मध्यमानों के बीच 1.4 का अन्तर पाया गया, जिसका लब्धि मान 53.8 प्राप्त हुआ।

दोनों समूहों के लब्धि मानों की तुलना करने पर यह कहा जा सकता हैं कि प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल के विकास में सामान्य/असामान्य ध्वनि व्यूहरचना की प्रभावशीलता नियंत्रित समूह की अपेक्षा प्रायोगिक समूह पर अधिक पाई गई।

प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल के विकास में एक भाब्द व्यूहरचना की प्रभावशीलता का मध्यमान के आधार पर विश्लेषण

समूह	परीक्षण	मध्यमान	मध्यमानों के मध्य अन्तर	लब्धि
नियंत्रित	पूर्व	2.0	0.3	12.4
	पश्च	2.3		
प्रायोगिक	पूर्व	2.3	1.7	75.8
	पश्च	4.0		

प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल के विकास में एक शब्द व्यूहरचना की प्रभावशीलता का मध्यमान के आधार पर विश्लेषण

उपरोक्त सारणी एवं आरेख को देखने पर निम्नलिखित परिणाम परिलक्षित होते हैं :

व्याख्या :

प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल के विकास में एक शब्द व्यूहरचना की प्रभावशीलता हेतु नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों का पूर्व व पश्च परीक्षण के प्राप्त प्राप्तांकों का मध्यमान क्रमशः 2.0 और 2.3 प्राप्त हुआ है तथा दोनों परीक्षणों के मध्यमानों के बीच 0.3 का अन्तर पाया गया, जिसका लब्धि मान 12.4 प्राप्त हुआ।

इसी तरह प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल के विकास में एक शब्द व्यूहरचना की प्रभावशीलता हेतु प्रायोगिक समूह के विद्यार्थियों का पूर्व व पश्च परीक्षण के प्राप्त प्राप्तांकों का मध्यमान क्रमशः 2.3 और 4.0 प्राप्त हुआ है तथा दोनों परीक्षणों के मध्यमानों के बीच 1.7 का अन्तर पाया गया, जिसका लब्धि मान 75.8 प्राप्त हुआ।

दोनों समूहों के लब्धि मानों की तुलना करने से यह कहा जा सकता हैं कि प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल के विकास में एक शब्द व्यूहरचना की प्रभावशीलता नियंत्रित समूह की अपेक्षा प्रायोगिक समूह पर अधिक पाई गई।

प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल के विकास में प्रयुक्त व्यूहरचनाओं की प्रभावशीलता का लब्धि के आधार पर विश्लेषण (नियंत्रित समूह के सन्दर्भ में)

समूह	व्यूहरचनाएँ	लब्धि	वरीयता क्रम
नियंत्रित	कहानी विधि	10.3	II
	कविता विधि	6.4	IV
	सामान्य/असामान्य ध्वनि	9.7	III
	एक शब्द	12.4	I

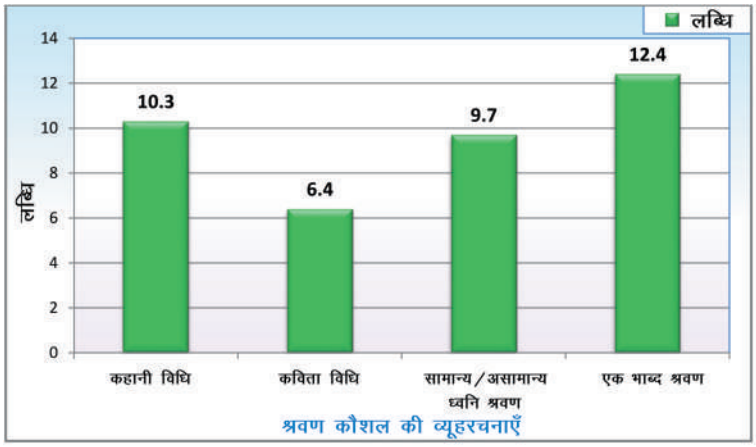

PS Jul-Dec'21_feb'11 pror shiksha.qxd 12/18/2021 1:33 PM Page 28

प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल के विकास में प्रयुक्त व्यूहरचनाओं की प्रभावशीलता का लब्धि के आधार पर विश्लेषण (प्रायोगिक समूह के सन्दर्भ में)

समूह	व्यूहरचनाएँ	लब्धि	वरीयता क्रम
प्रायोगिक	कहानी विधि	49.5	IV
	कविता विधि	123.8	I
	सामान्य/असामान्य ध्वनि	53.8	III
	एक शब्द	75.8	II

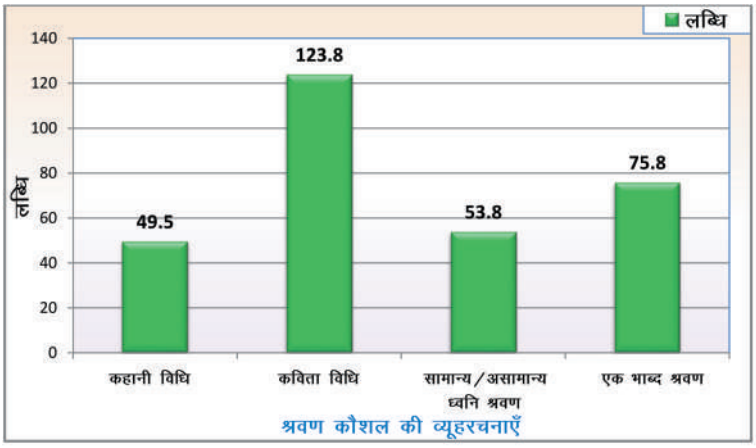

प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल के विकास में प्रयुक्त व्यूहरचनाओं की प्रभावशीलता का लब्धि के आधार पर विश्लेषण (प्रायोगिक समूह के सन्दर्भ में)

उपरोक्त सारणी एवं आरेख को देखने पर निम्नलिखित परिणाम परिलक्षित होते हैं :

व्याख्या :

प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल के विकास में कहानी विधि, कविता विधि, सामान्य/असामान्य ध्वनि श्रवण एवं एक शब्द श्रवण पर लब्धि प्राप्तांक क्रमशः 49.5, 123.8, 53.8 एवं 75.8 प्राप्त हुआ। प्रायोगिक समूह के विद्यार्थियों के सन्दर्भ में लब्धि प्राप्तांकों के आधार पर प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल के विकास में कविता व्यूहरचना सबसे अधिक तथा कहानी व्यूहरचना सबसे कम प्रभावशाली है।

प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल के विकास में प्रयुक्त व्यूह रचनाओं की प्रभावशीलता का टी मान के आधार पर विश्लेषण (नियंत्रित समूह के सन्दर्भ में)

परीक्षण	मध्यमान	मानक विचलन	टी मान	सार्थकता
पूर्व	9.3	2.9	0.54	दोनों स्तर पर असार्थक है।
पश्च	9.9	2.8		

टी मान स्वतन्त्रता के अंश 35 के 0.05 पर 2.03 तथा 0.01 पर 2.72

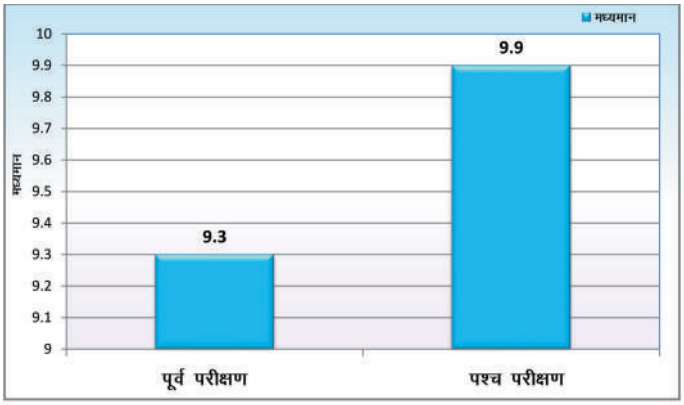

प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल के विकास में प्रयुक्त व्यूह रचनाओं की प्रभावशीलता का टी मान के आधार पर विश्लेषण (नियंत्रित समूह के सन्दर्भ में)

व्याख्या :

प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल के विकास में प्रयुक्त व्यूह रचनाओं की प्रभावशीलता हेतु निंयंत्रित समूह के विद्यार्थियों का पूर्व व परीक्षण के प्राप्त प्राप्तांको का मध्यमान व मानक विचलन क्रमशः 9.3, 9.9 तथा 2.9, 2.8 प्राप्त हुए है। दोनो परीक्षणों के लिए टी मान 0.54 प्राप्त हुआ जो कि स्वतन्त्रता के अंश 35 के 0.05 व 0.01 स्तर के सारणीमान से कम है अर्थात् पूर्व व पश्च परीक्षण के मध्यमानों में सार्थक अन्तर नहीं है। निष्कर्षतः प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल के विकास में प्रयुक्त व्यूह रचनाओं का नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों पर कोई प्रभाव नहीं हुआ।

प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल के विकास में प्रयुक्त व्यूह रचनाओं की प्रभावशीलता का टी–मान के आधार पर विश्लेषण (प्रायोगिक समूह के सन्दर्भ में)

परीक्षण	मध्यमान	मानक विचलन	टी मान	सार्थकता
पूर्व	8.9	3.6	3.02	दोनों स्तर पर सार्थक अन्तर पाया गया
पश्च	15.1	3.7		

टी मान स्वतन्त्रता के अंश 35 के 0.05 व 0.01 स्तर पर

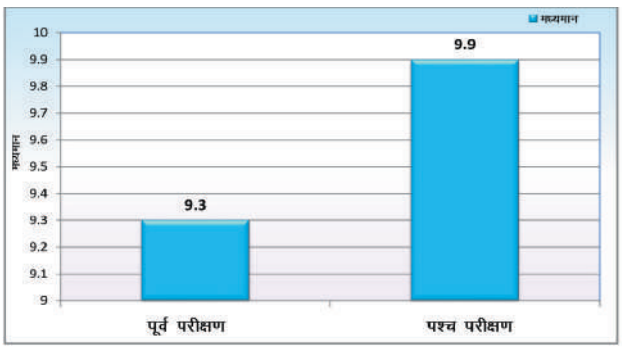

PS Jul-Dec'21_feb'11 pror shiksha.qxd 12/18/2021 1:33 PM Page 30

प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल के विकास में प्रयुक्त व्यूह रचनाओं की प्रभावशीलता का टी–मान के आधार पर विश्लेषण (प्रायोगिक समूह के सन्दर्भ में)

व्याख्या :

प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल के विकास में प्रयुक्त व्यूह रचनाओं की प्रभावशीलता हेतु प्रायोगिक समूह के विद्यार्थियों का पूर्व व परीक्षण के प्राप्त प्राप्तांको का मध्यमान व मानक विचलन क्रमशः 8.9, 15.1 तथा 3.6, 3.7 प्राप्त हुए है। दोनो परीक्षणों के लिए टी मान 3.02 प्राप्त हुआ जो कि स्वतन्त्रता के अंश 35 के 0.05 व 0.01 स्तर के सारणीमान से अधिक है अर्थात् पूर्व व पश्च परीक्षण के मध्यमानों में सार्थक अन्तर पाया गया। निष्कर्षतः प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल के विकास में प्रयुक्त व्यूह रचनाओं का प्रायोगिक समूह के विद्यार्थियों पर सार्थक प्रभाव हुआ।

सन्दर्भ :

1. भाई, योगेन्द्र जीत (1996) ''हिन्दी भाषा शिक्षण'' विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा –2 ।
2. गौड, सुनीता एवं गौड़ कृष्ण चन्द (2007) : ''हिन्दी शिक्षण'', अरिहंत शिक्षा प्रकाशन, जयपुर।
3. पाण्डेय रामशकल (2001) : ''शैक्षिक निबन्ध'' विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा–2।
4. पाण्डेय, रामशकल (2007) : ''नूतन हिन्दी शिक्षण'' विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा–2।
5. सतिगेरी, के. आय (2006) : '''नूतन हिन्दी शिक्षण'' विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा–2।
6. शर्मा, दुबे, तिवारी (2015) : ''पाठ्यक्रम के परे भाषा तथा पाठ्यवस्तु पर विमर्श'', राधा प्रकाशन मन्दिर, जयपुर।
7. शर्मा आर.ए. : शिक्षा अनुसंधान, आर. लाल बुक डिपो।

❍❍❍❍❍

''हमारा कर्तव्य है कि हम हर किसी को उसका उच्चतम आदर्श जीवन जीने के संघर्ष में प्रोत्साहित करें, और साथ ही साथ उस आदर्श को सत्य के जितना निकट हो सके लाने का प्रयास करें।''

–स्वामी विवेकानन्द

PS Jul-Dec'21_feb'11 pror shiksha.qxd 12/18/2021 1:33 PM Page 31

भारतीय युवा शक्ति और रोजगार के अवसर

— तरूण कुमार शर्मा

युवा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत की राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग वाले व्यक्तियों को युवा के रूप में परिभाषित किया गया है। यूनाइटेड नेशन्स पॉपुलेशन फण्ड की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2014 'दी पावर ऑफ 1.8 बिलियन' रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व के लगभग 180 करोड़ व्यक्ति 10 से 24 वर्ष की आयु वर्ग में हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में इस आयु वर्ग के कुल 35.6 करोड़ व्यक्ति हैं जो कि भारत की कुल जनसंख्या 126.74 करोड़ का 28 प्रतिशत है। चीन में 10–24 वर्ष आयु वर्ग के 26.9 करोड़ व्यक्ति ही हैं जबकि चीन की कुल जनसंख्या भारत से अधिक है। 10 वर्ष के बच्चों में हर पांच में से एक बच्चा भारत में है। भारत में 10 वर्षीय आयु की 1.2 करोड़ लड़कियां हैं जो विश्व के किसी भी देश की तुलना में सर्वाधिक हैं। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2015–16 के अनुसार भारत की जनसंख्या में 50 प्रतिशत व्यक्ति 25 वर्ष से कम आयु के हैं। वहीं 65 प्रतिशत जनसंख्या की आयु 35 वर्ष से कम है। वर्ष 2020 तक भारतीयों की औसत आयु वर्ग 29 वर्ष हो जाएगा जबकि इसी समय चीन और जापान की औसत आयु वर्ग 37 वर्ष और 48 वर्ष होगा।

जनाधिक्य युवा के रूप में मिले इस जनांकिकीय लाभांश का भारत को पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। इस युवा उदीयमान शक्ति को सही दिशा मिलने पर देश निश्चित रूप से प्रगति के पथ पर आगे की ओर बढ़ेगा। इसके लिये इन युवाओं के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों से हमें निपटना पड़ेगा। बेरोजगारी एक ऐसी ही चुनौती है जो अन्य कई समस्याओं का कारण भी बनती है। भारतीय युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी गहन चिन्तन का विषय है। कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो भारत में बेरोजगारी की समस्या की गहराई को व्यक्त करते हैं। उत्तर प्रदेश में एमटीएस के 368 पदों के लिए 23 लाख लोगों ने आवेदन किया। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तरप्रदेश की जनसंख्या 21.5 करोड़ है। इस आधार पर उत्तर प्रदेश के हर 93वें व्यक्ति ने इन पदो के लिये आवेदन किया। निर्धारित योग्यता पांचवी पास थी लेकिन आवेदकों में 2.22 लाख इंजीनियर, 255 पी–एच.डी., हजारों कला, विज्ञान, वाणिज्य संकाय स्नातकोत्तर आदि शामिल थे। हालांकि कोई काम छोटा नहीं होता है लेकिन यदि इंजीनियर, पी–एच.डी. योग्यताधारी रखने वाले चपरासी पद हेतु आवेदन करने लगे तो कम योग्यता वाले छात्र कहां जाएंगे। इसका अर्थ यह भी है कि उच्च डिग्रीधारी युवा अपने शैक्षिक स्तर के अनुरूप रोजगार प्राप्त करने योग्य नहीं हैं।

इसी तरह पश्चिम बंगाल में ग्रुप डी के 6000 पदों पर भर्ती हेतु 25 लाख आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 1.5 लाख आवेदक स्नातक, लगभग 25 हजार स्नातकोत्तर, 250 पी–एच.डी. योग्यताधारी हैं। देश में ऐसे कई उदाहरण मिल सकते हैं, जहां कम पदों पर इतनी अधिक संख्या में उच्च योग्यता रखने वाले व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त हुए हैं।

भारत के युवाओं में बेरोजगारी की इस स्थिति के दो कारण हैं पहला उचित रोजगार के अवसरों का अभाव और दूसरा, रोजगार प्राप्त करने की योग्यता का अभाव। इस लेख में भारतीय युवाओं की

बेरोजगारी के इन्हीं मूल कारणों की पड़ताल की गई है।

भारत में बेरोजगारी दर

भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के लेबर ब्यूरो द्वारा प्रकाशित 2015–16 की एक रिपोर्ट के अनुसार 15 वर्ष से अधिक आयु के कुल रोजगार के लिये उपलब्ध व्यक्तियों में से 5 प्रतिशत व्यक्ति बेरोजगार हैं। इसमें महिलाओं की बेरोजगारी दर 8.7 प्रतिशत जबकि पुरूषों में 4 प्रतिशत है। (तालिका–1) लेकिन यदि 18–19 वर्ष की आयु की बात करें तो यह बेरोजगारी दर 13.2 प्रतिशत है। (यूपीएस आधार पर) जिन व्यक्तियों के पास रोजगार है उनमें से भी 39 प्रतिशत स्व–रोजगार, 36 प्रतिशत केजुअल वर्कर, 19 प्रतिशत वेतन या भत्ते प्राप्त करते हैं जबकि 5.4 प्रतिशत अनुबंध या ठेके पर कार्यरत हैं।

भारत में कुल 77 प्रतिशत घरों में एक भी नियमित वेतन भत्ते प्राप्त करने वाला व्यक्ति नहीं है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में ऐसे घरों का प्रतिशत क्रमशः 83.6 एवं 62 है। भारत के कुल 67 प्रतिशत घरों की मासिक आय 10 हजार रूपये से कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में 77 प्रतिशत घरों एवं शहरी क्षेत्रों में 45 प्रतिशत घरों में यह स्थिति है। भारत में 48.4 प्रतिशत घरों में कमाने वाला केवल एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति की कमाई वाले इन घरों में से 30.4 प्रतिशत घरों में आमदनी 5000 से 7500 रूपये के मध्य है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2017 में भारत में बेरोजगारी दर 3.5 प्रतिशत थी।

तालिका – 1

ई यू एस 2016 के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर (यू पी एस एप्रोच)

क्षेत्र	पुरूष	महिला	व्यक्ति
ग्रामीण	4.2	7.6	5.9
शहरी	3.3	12.1	4.9
ग्रामीण एवं शहरी	4.0	8.7	5.0

भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 15–24 वर्ष के 20 प्रतिशत यानी लगभग 4.7 करोड़ युवा बेरोजगार हैं एवं किसी कार्य की तलाश में हैं। इनमें पूर्ण रूप से बेरोजगार व्यक्तियों के साथ–साथ वे व्यक्ति भी शामिल है जिन्हें वर्ष में 6 महीनों से कम रोजगार मिला है। इन 4.7 करोड़ बेरोजगार लोगों में 2.6 करोड़ पुरूष एवं 2.1 करोड़ महिलाएं हैं। रोजगार प्राप्ति के लिये प्रयास कर रहे व्यक्तियों में महिलाओं की पुरूषों के लगभग बराबर संख्या होने से एक भ्रम तो दूर होता है कि युवा महिलाएं पारिवारिक जिम्मेदारी या सामाजिक अस्वीकृति के कारण कार्य नहीं करना चाहती हैं।

शिक्षा एवं रोजगार

सामान्यतः हम यह मानते हैं कि जैसे–जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता है, वैसे–वैसे बेरोजगारी कम होती है। पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के आंकड़े कुछ और दर्शाते हैं। तालिका – 2 से स्पष्ट है कि जैसे–जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, बेरोजगारी का प्रतिशत भी बढ़ रहा है। स्नातक एवं इससे अधिक

शैक्षिक योग्यता वाले 18–29 वर्ष के युवाओं में बेरोजगारी दर सर्वाधिक 18.4 प्रतिशत है।

ऐसे में रोजगापरक शिक्षा की ओर ध्यान देना आवश्यक है। एक महत्वपूर्ण पक्ष तो यह है कि शिक्षा प्राप्त कर रहे युवाओं का प्रतिशत बढ़ाया जाए। इसके लिये वे व्यक्ति जो शैक्षिक तंत्र में प्रवेश से वंचित रहते हैं, उन्हें स्कूल, कॉलेज तक लाया जाए। लेकिन दूसरा उतना ही महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि जो विद्यार्थी इस शैक्षिक तंत्र में प्रवेश कर चुके हैं, उनमें वांछित योग्यताओं, ज्ञान, कौशल का विकास किया जाए। ऐसा होने पर ही शैक्षिक संस्थानों के आउटपुट एवं कार्यस्थलों द्वारा वांछित इनपुट के मध्य पड़ी, खाई को पाटा जा सकेगा। ऐसा नहीं होनें पर जो विद्यार्थी शैक्षिक तंत्र से निकलते हैं, उनमें रोजगार योग्यता या नियोज्यता का अभाव होना स्वाभाविक है।

तालिका – 2

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत की एम्प्लायमेंट–अनएप्लायमेंट सर्वे रिपोर्ट वॉल्यूम – 2, 2015 – 16 के आधार पर 18–29 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिये शैक्षिक योग्यता के अनुसार आंकड़े

(प्रतिशत में)

शैक्षिक योग्यता	रोजगार प्राप्त व्यक्ति	बेरोजगार व्यक्ति	लेबर फोर्स से बाहर व्यक्ति
अशिक्षित	43	2.2	54.8
प्राथमिक शिक्षा से कम	46.7	2.5	50.8
प्राथमिक शिक्षा	47.2	3.1	49.8
माध्यमिक / मीडिल / उच्च माध्यमिक	28.3	3.3	68.4
अधिस्नातक स्तर प्रमाण पत्र	29.3	9.0	61.7
स्नातक स्तर का डिप्लोमा	35.1	10.5	54.4
स्नातक एवं इससे अधिक	34.5	18.4	47.1

लेबर फोर्स से बाहर व्यक्तियों से अभिप्राय उन लोगों से है जो रोजगार की तलाश में नहीं हैं। इस श्रेणी में विद्यार्थी, घरेलू कार्य में लगे व्यक्ति, तथा अक्षम व्यक्ति आदि आते है।

अस्थायी व अंशकालीन रोजगार

भारत में 90 प्रतिशत रोजगार अनौपचारिक क्षेत्र में हैं। अनौपचारिक क्षेत्र के रोजगार अंशकालीन व अस्थायी होते हैं। इस क्षेत्र में रोजगार कर रहे व्यक्तियों में अपने रोजगार की सुरक्षा सम्बन्धी चिन्ता रहती है। भारत में रोजगार प्राप्त कर रहे व्यक्तियों में ऐसे लचीले (वल्नरेबल) रोजगार वालों का प्रतिशत अधिक है। ऐसे रोजगार की कई समस्याएं हैं जैसे – अपर्याप्त आय, अस्थायित्व, निम्न उत्पादकता, कार्य की कठिन परिस्थितियां जिनमें वर्कर के मूल अधिकारों की रक्षा नहीं होती। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 4 में से 3 व्यक्ति इस प्रकार के रोजगार में है।

रोजगार हेतु प्रवास

देश के मानव संसाधन के बाहर जाने का सबसे बड़ा कारण उचित रोजगार का अभाव ही है। यह भी दर्शाता है कि देश में उचित रोजगार के अवसरों की कमी है। प्रवासी भारतीयों की संख्या विश्व के किसी भी देश के प्रवासियों की तुलना में सर्वाधिक है। यूनाइटेड नेशन्स के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनोमिक्स एण्ड सोश्यल अफेयर्स (डेसा) द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत के 1.6 करोड़ प्रवासी भारतीय हैं। 1990 में यही संख्या 67 लाख थी। वहीं दूसरी ओर अन्य देशों से भारत में आकर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या में कमी हुई है। 1990 में यह संख्या 75 लाख थी जो 2015 में घटकर 52 लाख रह गई है।

बेरोजगारी एक वैश्विक समस्या

ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी की समस्या भारत जैसे विकासशील देशों में ही है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की ग्लोबल एम्प्लायमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2015 रिपोर्ट के अनुसार कुछ विकसित देशों में भी बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है। विश्व के 13 प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं (तालिका – 3)। कई निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र मुख्य रोजगार प्रदात्ता के रूप में युवाओं को निम्न रोजगार या आंशिक रूप से रोजगार ही सुलभ करा पाए हैं।

तालिका – 3

भारत एवं कुछ देशों की बेरोजगारी दर एवं बेरोजगारों की संख्या, आईएलओ शोघ विभाग द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट नवम्बर 2015 (प्रोजेक्टेड आंकड़ें)

	बेरोजगारी दर (प्रतिशत में)			बेरोजगारों की संख्या (करोड़ में)		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
विश्व	5.8	5.9	5.7	19.71	19.94	20.05
भारत	3.5	3.4	3.4	1.75	1.75	1.76
चीन	4.6	4.7	4.7	3.73	3.77	3.81
अमरीका	5.3	4.9	4.7	0.87	0.79	0.77
कनाडा	6.9	6.8	6.8	0.14	0.14	0.14
यूके	5.5	5.5	5.5	0.18	0.18	0.19

विश्व में 16.9 करोड़ लोग 2 अमेरिकन डॉलर यानी 120 से 140 रूपये प्रतिदिन से भी कम आय पर काम कर रहे हैं। जबकि 28.6 करोड़ लोग 4 अमेरिकन डॉलर यानी 240–380 रूपये प्रतिदिन से भी कम आय पर काम कर रहे हैं। आईएलओ के अनुसार बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने हेतु अगले दशक में अनुमानित लगभग 60 करोड़ रोजगार के अवसरों का सृजन करना होगा। प्रतिवर्ष 4 करोड़ से भी अधिक लोग श्रम बाजार में रोजगार के अवसरों की तलाश में जुड़ रहे हैं।

बेरोजगार युवा वर्ग

भारत में ही नहीं वैश्विक स्तर पर युवाओं की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा है जो न तो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, न रोजगार में है और न ही किसी प्रकार का प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस श्रेणी को नॉट एन एम्प्लायमेंट एजुकेशन ट्रेनिंग (एन.ई.ई.टी. – नीट) के नाम से जाना जाता है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2017 के अनुसार भारत में 15–29 वर्ष आयु वर्ग के 30 प्रतिशत से भी अधिक युवा ऐसे है जो नीट श्रेणी में आते हैं। यह प्रतिशत चीन के नीट प्रतिशत से तीन गुना अधिक है। यह स्थिति चिन्ताजनक है। किसी भी देश की जनसंख्या का युवा जनाधिक्य लाभांश तब तक प्राप्त नहीं हो सकता है, जब तक कि इन युवाओं को देश के विकास में सहभागी नहीं बनाया जाए। ऐसे अधिकतर युवा या तो बेरोजगार रहते हैं या उन्हें आंशिक, अस्थायी रूप से कम समय, कम वेतन पर अनौपचारिक क्षेत्र में काम करना पड़ता है। बेरोजगारी का एक रूप निम्रोजगारी या अण्डरएम्प्लॉयमेंट भी है। भारत में युवाओं के लिये रोजगारों का सृजन तो करना ही है, लेकिन ये अवसर ऐसे हो जिसमें युवाओं की क्षमताओं का पूर्ण उपयोग हो सके। इसके लिये इन अवसरों की गुणवत्ता पर भी उचित ध्यान आवश्यक है।

भर्ती एवं नियुक्ति प्रक्रिया में अवरोध

कई राज्यों में रोजगार प्रदान करते हुए भर्ती परीक्षाओं में अनेक अवरोध आते हैं। इस दौरान भी युवाओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शिक्षक भर्ती परीक्षाओं का उदाहरण लें तो स्नातक उपाधिकारी विद्यार्थी पहले तो प्रवेश परीक्षा के माध्यम से शिक्षा स्नातक (बी.एड.) में प्रवेश लेता है और दो वर्षो की अवधि में बी.एड. की परीक्षाएं पास करता है। इसके बाद भी टीचर इलिजिबिलिटी टेस्ट (टेट) एवं शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिये कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। सफल अभ्यर्थियों का प्रतिशत बहुत कम होता है। विद्यार्थी कोचिंग सेंटरों पर मनमानी फीस देकर अध्ययन करते हैं। इसमें तीन–चार साल या कभी–कभी इससे भी अधिक समय लग जाते हैं। भर्ती प्रक्रिया में कई अवरोध आते रहते है। परीक्षांए टलती जाती हैं। परिणामों की घोषणा में लगा समय, कोर्ट में प्रक्रिया का अटकना आदि कई चुनौतियां होती हैं। इस प्रकार युवाओं के कई महत्वपूर्ण उत्पादक उर्जावन वर्ष तनाव एवं कुण्ठा में चले जाते है। बेरोजगारी की स्थिति में एक शिक्षित व्यक्ति निजी क्षेत्र के विद्यालयों, महाविद्यालयों, उद्यमों में मजबूरी में न्यूनतम मजदूरी से भी कम वेतन पर कार्य करने को विवश होता है। मासिक वेतन यदि 4500–5000 रूपये हो तो स्वयं एवं परिवार का भरण–पोषण करने में कितनी दिक्कतें आती होंगी, समझा जा सकता है।

यहां बेरोजगारी के आंकड़ों तथा उदाहरणों को समझने के बाद अगर सब कुछ नीति निर्माताओं, सरकार पर ही डाल दिया जाए तो यह उचित नहीं होगा। युवा वर्ग की रोजगार हेतु योग्यता का एक और पहलू है जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। कई बार निजी कार्पोरेटर क्षेत्रों में रोजगार के अवसर होते हुए भी उन्हें व्यक्ति नहीं मिलते हैं। इसका कारण युवाओं में नियोजनीयता का अभाव है।

नियोजनीयता (एम्प्लॉयबिलिटी)

नई दिल्ली की एस्पायरिंग माइंड्स कम्पनी द्वारा 2013 में डेढ़ लाख इंजीनियरिंग विद्यार्थियों पर किये गए शोध से प्राप्त निष्कर्षों पर आधारित नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी रिर्पोट प्रकाशित की गई। इसके अनुसार देश के केवल 7 प्रतिशत इंजीनियर्स ही इंजीनियरिंग क्षेत्र में कार्य करने हेतु योग्य पाए गए। इसमें भी शहरों के स्तर के आधार पर परिणामों में भिन्नता देखने को मिली। स्तर – 1 के शहरों जैसे मुम्बई, बैंगलोर, हैदराबाद आदि में 18.26 प्रतिशत एवं स्तर – 2 शहरों जैसे पुणे, नागपुर, सूरत आदि में 14.17 इंजीनियर कार्य हेतु योग्य हैं। स्तर – 3 के अन्य छोटे शहरों में यह प्रतिशत सबसे कम था।

एसोसिएटेड चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज इन इण्डिया (एसोचेम) द्वारा किये गये अध्ययन में एमबीए योग्यताधारी प्रबन्ध स्नातकों की रोजगार योग्यता दर 7 प्रतिशत पाई गई। एसोचेम के अनुसार भारत में 5500 से भी अधिक बिजनेस स्कूल हैं। आईआईएम और शीर्ष बिजनेस संस्थानों को छोड़ दिया जाए तो अन्य संस्थानों से निकले एमबीए योग्यताधारियों को कम वेतन पर काम करना पड़ रहा है क्योंकि उनमें वांछित नियोजनीयता का अभाव है।

भारतीय युवाओं की रोजगार हेतु योग्यता चिन्तन का विषय है। भारत से प्रतिवर्ष लाखों विद्यार्थी विविध विषयों, संकायों में स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंध स्नातक आदि उपाधियां प्राप्त करते हैं। रोजगार प्रदाता कम्पनियों द्वारा आकलन किये जाने पर इनमें वांछित ज्ञान, कौशल का अभाव पाया जाता है। अर्थात इनमें रोजगार प्राप्त करने की योग्यता या नियोजनीयता (एम्प्लॉयबिजिटी) नहीं होती है।

नियोजनीयता का अर्थ

नियोजनीयता को किसी व्यक्ति द्वारा चुने गए क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने की सक्षमता या योग्यता के रूप में समझा जा सकता है। वहीं नियोजनीयता का व्यापक अर्थ किसी व्यक्ति के रोजगार प्राप्त करने, उसे बनाए रखने, उसमें सफलता प्राप्त करने की योग्यता है जो व्यक्ति को स्वयं के साथ–साथ समाज एवं राष्ट्र के विकास में भागीदार बनाती है। नियोजनीयता के अन्तर्गत विद्यार्थी की मौखिक–लिखित सम्प्रेशण कौशल, समय प्रबंधन, स्व–अभिप्रेरणा, समूह में प्रभावी भूमिका निभाने की क्षमता, अन्तर्वेयक्तिक कौशल, मूलभूत आंकिक एवं तार्किक क्षमता, स्व–प्रबंधन, अनवरत सीखने की योग्यता एवं अभिवृति एवं परिस्थितियों के प्रति समायोजित होने की क्षमता आदि शामिल किये जाते हैं। कुछ ज्ञान, कौशल ऐसे होते हैं जो सभी रोजगारों के लिये आवश्यक होते हैं एवं कुछ कौशल विशिष्ट रोजगार हेतु ही आवश्यक होते हैं।

वर्तमान में उद्योग जगत द्वारा नियोजनीयता को अधिक महत्व दिया जा रहा है। इसका कारण श्रम बाजार का अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक होना है। रोजगार प्रदाता कम्पनियां उन्हीं व्यक्तियों को चुनना चाहती हैं जो किसी कार्य को पूर्ण करने में सक्षम हों ताकि कम्पनियों को उनके प्रशिक्षण पर अधिक समय और धन खर्च नहीं करना पड़े। ऐसे व्यक्ति चुने जाते हैं जिनमें कार्य के प्रति सकारात्मक अभिवृति, परिस्थितियों के प्रति ढलने के लचीलेपन का रूख अपनाने की प्रवृति हो, जो कार्य में स्वयं आगे बढ़कर भागीदारी करें।

शिक्षा तंत्र की मजबूती अत्यावश्यक

विद्यार्थियों को रोजगार प्राप्त करने योग्य बनाना शिक्षण संस्थाओं का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। ऑल इण्डिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2014–15 के अनुसार उस समय लगभग 3 करोड़ 42 लाख विद्यार्थी उच्च शिक्षा तंत्र में पंजीकृत थे। इसमें से सर्वाधिक 79 प्रतिशत यानी 2 करोड़ 71 लाख तो स्नातक या अण्डरग्रेजुएट स्तर पर ही अध्ययनरत थे। 38 लाख स्नातकोत्तर थे। अर्थात् भारत की युवाशक्ति का एक बहुत बड़ा भाग उच्च शिक्षा तंत्र से जुड़ा हुआ है। देश के शिक्षा तंत्र के पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा द्वारा युवा शक्ति को नियोजनीय बनाने की महती जिम्मेदारी है। वे विद्यार्थी में अवश्यक योग्यताओं, चिन्तन, विश्लेषण एवं अनुप्रयोग करने की क्षमताओं आदि का विकास करें। यदि किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्थान की नियोजनीयता अधिक होगी तो वहां पर भविष्य में भी उच्च गुणवत्ता वाले विद्यार्थी अध्ययन के लिये आकर्षित होंगे। साथ ही रोजगार प्रदाता उद्योग भी ऐसे ही संस्थानों में कैम्पस साक्षात्कार संचालित करेंगे।

तकनीकि कारणों, नीतिगत परिवर्तनों, प्रतिस्पर्धात्मक बाजार, व्यावसायिक परिवेश आदि के कारण कार्य की प्रकृति में समय–समय पर परिवर्तन होते रहते है जो एक बार सीख लिया है और आज काम आ रहा है, हो सकता है कल उसे भूलकर नई नकनीक, ज्ञान, कौशल की आवश्यकता पड़े। इसीलिये रोजगार प्रदाता कम्पनियां ऐसे व्यक्तियों को कार्य पर रखती हैं जिनमें सतत रूप से सीखने की क्षमता हो, जो भविष्य में आने वाले परिवर्तनों के प्रति सकारात्मक अभिवृति रखते हुए संगठन की सफलता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करा सकें।

नियोजनीयता एवं बेरोजगारी के कई कारण है। वर्तमान शिक्षा तंत्र उद्योग स्तर पर वांछित ज्ञान, कौशल, तकनीकि विशेषज्ञता की पूर्ति करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। शिक्षा के नाम पर विद्यार्थी डिग्री/डिप्लोमा तो प्राप्त कर रहे हैं पर उनमें रोजगार योग्यता या नियोजनीयता का अभाव है।

शैक्षिक तंत्र की आधारभूत संरचना

सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में बने ज्ञान आयोग ने रिपोर्ट दी थी कि देश में योग्य भारतीय युवाओं को उच्च शिक्षा प्रदान कराने के लिये वर्ष 2015 तक 1500 से भी अधिक विश्वविद्यालयों की आवश्यकता होगी। वर्तमान में देश में लगभग 800 विश्वविद्यालय एवं लगभग 40 हजार महाविद्यालय हैं फिर भी उच्च शिक्षा में मात्रात्मक एवं गुणात्मक कमियां है। नये संस्थानों, विश्वविद्यालयों की स्वीकृति के समय उचित कार्ययोजना, दिशानिर्देशों एवं निरीक्षण की आवश्यकता है।

कई संस्थाएं और विश्वविद्यालय शैक्षिक, शोध एवं अकादमिक गुणवता के स्थान पर केवल लाभ कमाने वाले केन्द्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। यहां तक कि सरकारी विश्वविद्यालय भी राजनीतिक केन्द्र बनते जा रहे है। शिक्षण संस्थाओं में योग्य शिक्षकों की गुणात्मक व संख्यात्मक कमी, पाठ्यक्रम में नवीनता न होना, शिक्षण में सिद्धान्तों के वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग पर ध्यान नहीं दिया जाना, कौशल विकास की कमी आदि अनेक समस्याएं हैं। जहां एक ओर विज्ञान एवं तकनीकि में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, वही दूसरी ओर पाठ्यक्रम में इसका समावेश नहीं हो रहा है।

शिक्षा में नवाचार

शिक्षा अब पारम्परिक तरीकों से आगे बढते हुए सूचना केंद्रिन्त शिक्षण के माध्यमों से प्रदान की जा रही है। अधिकतर परीक्षाएं एवं मूल्यांकन कार्य भी सूचना संग्रहण को ही जांच रहे हैं। सूचना एवं ज्ञान में अन्तर है। सूचनाएं तो कम्प्यूटर की एक क्लिक पर ढ़ेरो उपलब्ध हैं। महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थी में अनुप्रयोग, विश्लेषण क्षमता, तर्कपूर्ण चिन्तन, सृजनात्मकता आदि गुणों को विकास हो सके। चिन्तन की प्रक्रिया को जितना विस्तार मिलेगा, उतना ही विद्यार्थी में नये विचार उन्पन्न होंगे। ऐसा नहीं है कि समस्याएं केवल उच्च शिक्षा तंत्र में ही है, प्राथमिक, माध्यमिक स्तर पर भी ऐसी व अन्य तरह की समस्याएं हैं। गुणवत्ताविहीन प्राथमिक शिक्षा के बारे में एनसीईआरटी एवं प्रथम द्वारा दी गई रिपोर्ट में भी बताया गया है।

कौशल विकासः महत्ती आवश्यकता

बेरोजगारी से निपटना वैश्विक स्तर पर सभी सरकारों की प्राथमिकता है। भारत सरकार ने इससे निपटने के लिए कई उपाय किये है। वर्तमान में कौशल विकास एवं प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है। नीति निर्माताओं का यह भी प्रयास रहा है कि युवा स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ कर उद्यमी बने। स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इण्डिया, स्किल इण्डिया जैसी कई योजनाओं के माध्यम से युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने के प्रयास हो रहे हैं। भारत की राष्ट्रीय कौशल विकास नीति प्रशिक्षण की गुणवत्ता, व्यावसायिक प्रशिक्षण की संख्यात्मकता एवं गुणात्मकता, सभी क्षेत्रों, वर्गों तक पहुंच आदि को ध्यान में रखकर बनाई गई है। भारत सरकार कौशल विकास के लिए वर्ष 2022 तक 50 करोड़ व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित कर चुकी है। इसके ठोस, प्रभावी व ईमानदार क्रियान्वयन होने पर निश्चय ही आशातीत सफलता प्राप्त होगी लेकिन इन कार्यक्रमों के जमीनी स्तर पर संचालन की गुणवत्ता को जांचने की आवश्यकता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में 2022 तक 10 करोड़ रोजगार के अवसरों के सृजन का भी लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में बाजार में श्रम की मांग को समझने का संगठित तंत्र विकसित नहीं है जिससे कि बाजार मांग के अनुसार श्रम की पूर्ति करना संभव नहीं हो पाता। ऐसे में व्यवस्थित मापन तंत्र बनाने की भी आवश्यकता है।

देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती का भी रोजगार सृजन से संबंध है। अर्थव्यवस्था की मजबूती से कम्पनियां नवनियुक्तों के प्रशिक्षण पर खर्च कर सकेंगी। ऐसा नहीं होने पर कम्पनियों की प्राथमिकता रेहेगी कि ऐसे अभ्यर्थियों का ही चयन हो जो पूर्वप्रशिक्षित या नियोजनीय हों।

कोई भी पौधा तब ही फलफूल कर वृक्ष बनता है जब पनपने के लिए वांछित वातावरण, उर्वरा मिट्टी, पर्याप्त जल, प्रकाश आदि मिले। देश की उदीयमान युवा शक्ति इन्हीं पौधों के समान हैं जिन्हें उचित वातावरण, अवसर, संसाधन उपलब्ध कराने पर ही यह एक उत्पादक शक्ति के रूप में देश के विकास में योगदान दे सकेंगे। ऐसा नहीं होने पर देश का युवा जनाध्क्यि लाभांश पूर्ण रूप से प्राप्त होने में संशय है।

युवाओं की बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये सरकार को भी रोजगार के अवसरों को बढ़ाना होगा लेकिन साथ ही युवाओं को रोजगार प्राप्त करने योग्य, कुशल बनाने हेतु सभी संबंधित तंत्रों

जैसे – शैक्षिक, प्रशिक्षण, प्रशासकीय तंत्र को भी जमीनी स्तर पर मनोयोग से कार्य करना होगा। युवा वर्ग भी अपने भविष्य निर्माण में स्वयं की जिम्मेदारी समझें एवं मेहनत, लगन से स्वयं, समाज एवं राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें।

संदर्भ

1. यूनाइटेड नेशन्स पॉपुलेशन फण्ड (2014), दी पावर ऑफ 1.8 बिलियन, यूएनएफपीए स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2014 रिपोर्ट।
2. गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया (2017), इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इण्डिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नई दिल्ली।
3. दि हिन्दू, 17 सितम्बर 2015।
4. दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, 30 जनवरी 2017।
5. गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया (2016), फिफ्थ एम्प्लायमेंट सर्वे रिपोर्ट 2015–16, वॉल्यूम – 1, पृष्ठ 17–21, लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एण्ड एम्प्लॉयमेंट, नई दिल्ली।
6. गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया (2016) फिफ्थ एम्प्लायमेंट सर्वे रिपोर्ट 2015–16, वॉल्यूम – 2, लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, नई दिल्ली।
7. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (2018) वर्ल्ड एम्प्लायमेंट सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2018, पृष्ठ 21, इण्टरनेशनल लेबर ऑफिस, जेनेवा।
8. गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया (2011), सेन्सस ऑफ इण्डिया, ऑफिस ऑफ दी रजिस्ट्रार जनरल एण्ड सेन्सस कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, नई दिल्ली।
9. गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया (2016), फिफ्थ एम्प्लायमेंट अनएम्प्लायमेंट सर्वे 2015–16, वॉल्यूम –2, लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एण्ड एम्प्लॉयमेंट नई दिल्ली।
10. बिजनेस टुडे (2018), 3 आउट ऑफ 4 वर्कर्स इन इण्डिया फॉल इन वल्नरेबल एम्प्लायमेंट, बिजनेस टुडे, जनवरी 2018।
11. यूनाइटेड नेशन्स (2016) इण्टरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट 2015, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एण्ड सोशल अफेयर्स, यूएन।
12. आईएलओ (2015) ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट्स ट्रेंडस फॉर यूथ 2015, आईएलओ स्कूल टू वर्क ट्रॉजिशन सर्वे, इण्टरनेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन, जेनेवा।
13. गवर्मेंट ऑफ इण्डिया (2017), सीएसओ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिसटिक्स एण्ड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सोशल स्टेटिसटिक्स डिवीजन, दिल्ली।
14. एस्पायरिंग माइंड्स (2016), नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी रिपोट फॉर इंजीनियर्स, नई दिल्ली।
15. एसोचेम 2016, बी एण्ड सी केटेगरी बी–स्कूल्स प्रोड्यूसिंग अनएम्प्लायबल पा आउट्स, एसोसिएशन ऑफ चेम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, एसोचेम, ओआरजी / न्यजडिटेल / पीएचपी?आईडी–5651 एक्सेस्ड ऑन 14 मई 2017।
16. गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया (2016), ऑल इण्डिया सर्वे ऑन हायर एज्युकेशन 2015–16, मिनिस्ट्री ऑफ हयुमन रिसोर्स डवलपमेंट, नई दिल्ली।
17. अप्रैल 2018, परिप्रेक्ष्य।

PS Jul-Dec'21_feb'11 pror shiksha.qxd 12/18/2021 1:33 PM Page 40

डिजिटल विभाजन : साक्षरता और सशक्त भारत

—कल्पना कौशिक

डिजिटल विभाजन इंटरनेट और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग और प्रभाव के संबंध में होने वाली एक आर्थिक और सामाजिक असमानता है। यह आम तौर पर इंटरनेट और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग को लेकर विभिन्न सामाजिक, आर्थिक स्तरों या अन्य जनसांख्यिकीय श्रेणियों में व्यक्तियों, घरों, व्यावसायों या भौगोलिक क्षेत्रों के बीच असमानता का उल्लेख करता है। दुनियां के विभिन्न देशों या क्षेत्रों के बीच विभाजन को वैश्विक डिजिटल विभाजन के रूप में जाना जाता है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकासशील और विकसित देशों के बीच डिजिटल विभेद को दर्शाता है।

आज के डिजिटलीकरण के दौर में इंटरनेट संचार और सूचना प्राप्ति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज़रिया बन गया है। कुछ वर्ष पहले तक इंटरनेट तक पहुँच को विलासिता का सूचक माना जाता था, परंतु वर्तमान में इंटरनेट हमारी जरूरत बन गया है। करोना महामारी के दौरान इसकी सार्थकता पहले से भी अधिक सिद्ध हुई है। महामारी के दौरान प्रभावित लोगों तक प्रशासनिक मदद व खाद्य सामग्री पहुँचाने का कार्य प्रभावी रूप से डिजिटल माध्यम की सहायता से किया गया है। पूरी शिक्षा व्यवस्था ऑनलाइन माध्यम से ही संचालित होती रही है। इस वैश्विक संकट में डिजिटल माध्यम करोड़ों नागरिकों के लिए शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरा है। डिजिटल माध्यमों से सहायता के ये रूप कभी हेल्पलाइन नंबर के रूप में तो कभी आरोग्य सेतु ऐप के रूप में जन सरोकार व स्वास्थ्य की दिशा में उपयोगी सबित हुए हैं। किन्तु यहीं यह प्रश्न भी उपस्थित होता है कि क्या देश का प्रत्येक नागरिक इस डिजिटल उपकरण के उपयोग की स्थिति में है? या फिर डिजिटल उपकरण के उपयोग के आधार पर आज देश में डिजिटल माध्यमों के उपयोग में सक्षम और डिजिटल माध्यम के उपयोग और उसकी सुविधाओं से वंचित, इस तरह के दो समूह बन गए हैं ? इन दोनों समूह वाले लोगों के बीच की खाई को ही डिजिटल खाई कहा गया है और इसने एक प्रकार से डिजिटल विभाजन की स्थिति पर सोचने को मजबूर किया है। जीवन के तमाम क्षेत्रों में शिक्षा महज एक क्षेत्र है जिसने लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण और शहरों में व्याप्त डिजिटल विभाजन को समझने का मौका दिया है। गौर से देखने पर यह खाई हर जगह दिखती है। चाहे वह इंटरनेट और फोन के द्वारा मिलने वाली तमाम सुविधाएँ जैसे टेलीमेडिसिन, बैंकिंग, ई–कॉमर्स या ई–गवर्नेस ही क्यों न हों। यह स्थिति तब है जब देश ने पिछले कुछ वर्षों में डिजिटलीकरण में काफी प्रगति की है।

वैसे तो हाल के वर्षों में भारत में डिजिटल डिवाइड को कम करने और डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किये गए हैं, जिसके कारण बीते कुछ वर्षों में देश में डिजिटल साक्षरता में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है, किन्तु अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता की दृष्टि से बहुत कुछ किया जाना शेष है। केंद्र व राज्य सरकार को चाहिए कि वह इस क्षेत्र में निवेश को प्राथमिकता दें।

डिजिटल विभाजन के वैसे तो अनेक कारण रहे हैं किन्तु शिक्षा का स्तर और गुणवत्ता का डिजिटल विभाजन पर काफी प्रभाव रहता है। भारत में अभी भी शिक्षा की स्थिति काफी कमजोर ही है, जो डिजिटल विभाजन को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका अदा कर रही है। तमाम प्रयासों के बावजूद अभी भी परंपरागत पाठयक्रमों पर जोर दिया जाता है, जिसमें डिजिटल शिक्षा का अभाव रहता है। इससे डिजिटल साक्षरता में कमी दर्ज की जाती है और डिजिटल विभाजन में वृद्वि। भारत में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु बुनियादी ढ़ाँचे और शिक्षकों आदि की कमी है। यहाँ आज भी इंटरनेट या इलेक्ट्रानिक उपकरणों का उपयोग अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषाओं में सुनिश्चित नहीं हो पाया है जो इंटरनेट के उपयोग को सीमित करता है। डिजिटल विभाजन का शिक्षा पर अत्यंत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। इंटरनेट ज्ञान और सूचना का एक समृद्ध भंडार उपलब्ध कराता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों की पहुँच और उपलब्धता अकादमिक सफलता और मज़बूत अनुसंधान गतिविधियों से जुड़ी है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से किसी भी सूचना तक काफी जल्दी पहुँचा जा सकता है। वैसे भी शिक्षा एक बहुत ही गतिशील क्षेत्र है और नवीनतम सूचना और ज्ञान प्राप्त करना इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये काफी महत्वपूर्ण हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों की अपर्याप्तता ने विकासशील देशों में पहले से ही कमज़ोर शिक्षा प्रणाली को और अधिक अप्रभावी बना दिया है। इस प्रकार देश के विद्यालयों के शिक्षा मानकों में सुधार करने के लिये आवश्यक है कि वहां कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएँ।

एक तरफ जहां शिक्षा का स्तर और गुणवत्ता का अभाव डिजिटल डिवाइड को बढ़ाती है तो दूसरी ओर किसी समाज में डिजिटल डिवाइड के होने पर वहाँ का शिक्षा क्षेत्र काफी नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। इस प्रकार शिक्षा और डिजिटल डिवाइड दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पिछले कुछ समय से पूरा देश कोविड–19 महामारी से जूझ रहा है और लॉकडाउन के कारण स्कूल आदि बंद होने से विद्यार्थी आनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन भारत में डिजिटल डिवाइड की स्थिति अधिक होने के कारण अनेक विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, जिससे उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही हैं।

भारत के सशक्तिकरण के लिए यह आवश्यक है कि डिजिटल साक्षरता को बढ़ाकर इस डिजिटल विभाजन की समस्या को दूर किया जाए। भारत सरकार इस बात को भलीभांति जानती है कि डिजिटल साक्षरता के बिना और डिजिटल विभाजन को ख़त्म किए बिना भविष्य के भारत की बुनियादी तैयार नहीं की जा सकती है। यही कारण है कि सरकार की ओर से डिजिटल साक्षरता को लेकर कई प्रभावी कदम भी उठाए गए हैं और उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। डिजिटल साक्षरता का आशय उन तमाम तरह के कौशलों से है, जो इंटरनेट का प्रयोग करने और डिजिटल दुनिया के अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक है। प्रायः यह देखा जाता है कि कंप्यूटर अथवा इंटरनेट सेवाओं तक पहुँच यह सुनिश्चित नहीं करती कि वह व्यक्ति उस उपकरण अथवा सेवा का सही ढ़ग से प्रयोग भी कर सकता है।

डिजिटल डिवाइड किसी देश के व्यवसाय को भी प्रभावित करता है। डिजिटल डिवाइड अधिक होने

से ई–बिजनेस कंपनियाँ (यथा–अमेज़न आदि), टेलीकॉम कपंनियाँ एवं अन्य ऐसी कंपनियाँ जिनका व्यापार ऑनलाइन माध्यमों पर अधिक निर्भर होता है, वो निवेश करने से पहले बार बार सोचते हैं। डिजिटल डिवाइड लोगों के बीच सूचनाओं के पहुँच की असमानता को भी बढ़ाता है। आज ग्रामीण भारत आवश्यक सूचना की कमी सामना कर रहा है, जो कि गरीबी, अभाव और पिछड़ेपन के दुश्चक्र को और मज़बूत करता है। इसके अतिरिक्त, यह सामाजिक असमानता को भी बढ़ाता है। भारत में डिजिटल डिवाइड को कम करने वाले कई उपायों और योजनाओं के साथ सरकार 'डिजिटल इंडिया मिशन' को आगे बढ़ाते हुए शासन हेतु डिजिटल माध्यमों पर अधिक ज़ोर दे रही है, ताकि इसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और गति आदि लाया जा सके। ऐसे में यदि देश में डिजिटल डिवाइड की स्थिति बनी रही तो शासन भी प्रभावित होगा।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसमें भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि है। इसमें नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण पर फोकस किया गया है। इसके अंतर्गत यूनिवर्सल डिजिटल साक्षरता, सभी डिजिटल संसाधनों की सर्व सुलभता, सभी सरकारी दस्तावेजों की क्लाउड पर उपलब्धता, सहभागी शासन के लिए सहयोगात्मक डिजिटल प्लेटफॉर्म आदि को बढ़ावा दिया गया है।

डिजिटल भारत के माध्यम से भारतनेट कार्यक्रम या परियोजना की शुरूआत की गई जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा राज्यों तथा निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी से भारत के दूर–दराज़ के क्षेत्रों में नागरिकों एवं संस्थानों को सुलभ व हाईस्पीड ब्रॉडबैंड किफायती दरों पर उपलब्ध कराना है। इसके तहत अब तक लाखों ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिये जोड़ा जा चुका है। इसी तरह राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन का उद्देश्य भारत के प्रत्येक घर में कम–से–कम एक व्यक्ति को डिजिटल साक्षर बनाना है। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 का उद्देश्य भारत के प्रत्येक नागरिक को तेज गति वाली यूनिवर्सल सुलभ व हाईस्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देना है। एक राष्ट्रीय फाइबर प्राधिकरण को गठित करके राष्ट्रीय डिजिटल ग्रिड की स्थापना करना भी इस नीति का लक्ष्य है। 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' में भी डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने हेतु भारतीय शिक्षा प्रणाली में संरचनात्मक बदलावों के लक्ष्यों को रखा गया है।

हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप को बेहतर इंटरनेट सेवा के लिए समुद्र तल केबल से साथ जोड़ा गया है और अब लक्षद्वीप को केबल से जोड़ा जा रहा है। रणनीतिक, दूरस्थ और सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कदम उठाया गया है। इन क्षेत्रों के गांवों को रणनीतिक रूप से मोबाइल पर सीमा क्षेत्र कनेक्टिविटी को कवर करने के लिए चुना गया है। इससे जम्मू–कश्मीर एवं लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में कोई भी ऐसा गाँव नहीं होगा जहां मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं होगी। दूरसंचार विभाग बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के 24 आकांक्षी जिलों के गाँवों में भी मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने पर काम कर रहा है और छतीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश में बचे हुए 44 आकांक्षी जिलों के 7287 के गांवों को भी कवर करने का लक्ष्य है।

शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल माध्यम के उपयोग के आयाम और उपलब्धियां

शिक्षा मंत्रालय के अंतगर्त उच्च शिक्षा विभाग, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Education through Information and Communication Technology - NMEICT) कार्यक्रम का संचालन कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में सभी शिक्षार्थियों को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम के तहत कई नए पहल किए गए हैं जिनमें डिजिटल माध्यम से बेहतर परिणाम लाने की दृष्टि सामने आती है.

स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (SWAYAM) एक एकीकृत मंच है जो स्कूल (9वीं – 12वीं) से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक ऑनलाइन पाठयक्रम प्रदान करता है। अब तक SWAYAM पर लगभग तीन हजार बड़े पैमाने के ऑनलाइन कोर्सेज (Massive Open Online Courses - MOOC) की पेशकश की गई है, जिसमें लगभग 1 करोड़ से भी कहीं अधिक छात्रों ने विभिन्न पाठयक्रमों में दाखिला लिया। NCERT द्वारा कक्षा IX - XII तक के लिये अनेक विषयों में स्कूल शिक्षा प्रणाली हेतु बड़े पैमाने पर ऑनलाइन पाठयक्रमों (Massive Open Online Courses - MOOC) का मॉडयूल विकसित किया गया।

स्वयं प्रभा: SWAYAM Prabha

यह 24X7 आधार पर देश में सभी जगह डायरेक्ट टू होम (Direct to Home - DTH) के माध्यम से 32 उच्च गुणवता वाले शैक्षिक चैनल प्रदान करने की एक पहल है। इसमें पाठयक्रम आधारित पाठय सामग्री होती है जो विविध विषयों को कवर करती है। इसका प्राथमिक उद्देश्य गुवतत्ता वाले शिक्षण संसाधनों को दूर दराज़ के ऐसे क्षेत्रों तक पहुँचाना है जहाँ इंटरनेट की उपलब्धता अभी भी एक चुनोती बनी हुई है।

राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी: (National Digital Library (NDL)

भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (National Digital Library of India-NDL) एक एकल–खिड़की खोज सुविधा (Single-Window Search Facility) के तहत सीखने के संसाधनों के आभासी भंडार का एक ढ़ाँचा विकसित करने की परियोजना है। इसके माध्यम से यहाँ 3 करोड़ से अधिक डिजिटल संसाधन उपलब्ध हैं। NDL एक मोबाइल एप के माध्यम से भी उपलब्ध है।

स्पोकन टयूटोरियल: Spoken Tutorial

छात्रों की रोजगार क्षमता को बेहतर बनाने के लिये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर 10 मिनट के ऑडियो–वीडियो टयूटोरियल उपलब्ध हैं। यह सभी 22 भाषाओं में उपलब्धता के साथ ऑनलाइन संस्करण है जो स्वयं सीखने के लिये बनाया गया है। स्पोकन टयूटोरियल के माध्यम से बिना शिक्षक की उपस्थिति के पाठयक्रम को प्रभावी रूप से नए उपयोगकर्त्ता को प्रशिक्षित करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।

शिक्षा के लिये मुफ्त और मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर (Free and Open Source Software for Education - FOSSEE)

FOSSEE शिक्षण संस्थानों में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग को बढ़ावा देने वाली एक परियोजना है। यह शिक्षण सामग्री, जैसे कि स्पोकन टयूटोरियल्स, डॉक्यूमेंटेशन जागरूकता कार्यक्रम, यथा कॉन्फ्रेंस, ट्रेनिंग वर्कशॉप एवं इंटर्नशिप के माध्यम से किया जाता है।

Virtual Lab: वर्चुअल लैब

इस प्रोजेक्ट का उपयोग प्राप्त ज्ञान की समझ का आकलन करने, आँकड़े एकत्र करने और सवालों के उत्तर देने के लिये पूरी तरह से इंटरैक्टिव सिमुलेशन एन्वायरनमेंट (Interative Simulation Environment) विकसित करना है। महत्वाकांक्षी परियोजना के उद्देश्य को प्राप्त करने, वास्तविक दुनिया के वातावरण और समस्याओं से निपटने की क्षमता विकसित करने के लिये अत्याधुनिक कंप्यूटर सिमुलेशन तकनीक के साथ आभासी प्रयोगशालाओं को विकसित करना आवश्यक है।

ई–यंत्रः e-Yantra

यह भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजों में एम्बेडेड सिस्टम (Embedded Systems) और रोबोटिक्स (Robotics) पर प्रभावी शिक्षा को सक्षम करने की एक परियोजना है। शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षण कार्यशालाओं के माध्यम से एम्बेडेड सिस्टम और प्रोग्रमिंग की मूल बातें सिखाई जाती हैं।

नेशनल रिपोजिटरी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस (NROER)

(http://nroer.gov.in/welcome) को NCERT द्वारा डिज़ाइन किया गया है। इनमें हजारों की संख्या में संग्रह, दस्तावेज़, इंटरैक्टिव, ऑडियो, चित्र और वीडियो आदि अपलोड किये गए हैं। शिक्षा में ICT (Information and Communications Technology) के क्षेत्र में पहलें की गई हैं, जैसे छात्रों और शिक्षकों के लिये ICT पाठयपुस्तक, साइबर सुरक्षा और सुरक्षा दिशा–निर्देश, स्वयम् प्रभा डीटीएच टीवी चैनल, किशोर मंच, ऑल इंडिया ऑडियो–वीडियो उत्सव और ICT मेला, स्कूल के शिक्षकों और शिक्षक–शिक्षकों के लिये राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया गया है और देश भर में लागू किया जा रहा है।

CBSE द्वारा डिजिटल शिक्षण पहलः सारांश (SARANSH)

CBSE संबद्ध स्कूलों और अभिभावकों के लिये स्वयं समीक्षा और विश्लेषण करने का एक उपकरण है। यह उन्हें उपचारात्मक उपाय करने के लिये छात्रों के प्रदर्शन का विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है। SARANSH स्कूलों, शिक्षकों और माता–पिता को एक दूसरे के करीब लाता है, ताकि वे छात्रों की प्रगति की निगरानी कर सकें और उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद कर सकें।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों द्वारा की गई कुछ प्रमुख डिजिटल पहल में राजस्थान में ''स्माइल (सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट), जम्मू में ''प्रोजेक्ट होम क्लासेस'', छतीसगढ़ में ''पढ़ाई तुहार दुवार (आपके द्वार पर शिक्षा), बिहार में ''उन्नयन'' पहल पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से शिक्षा, दिल्ली में एनसीटी का अभियान ''बुनियाद'', केरल का अपना शैक्षिक टीवी चैनल (हाई–टेक स्कूल प्रोग्राम), ''ई–विद्वान पोर्टल'' और साथ ही मेघालय में शिक्षकों के लिए मुफ्त ऑनलाइन पाठयक्र

शामिल हैं। तेलंगाना में कोविड संकट के दौरान शिक्षकों के लिए मानसिक स्वास्थ्य पर ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है।

आज डिजिटलीकरण मानव जीवन के लगभग हर पक्ष को प्रभावित कर रहा है। इस वैश्वीकरण के युग ने यह साबित किया है कि डिजिटल सशक्तिकरण किसी भी देश के चहुमूखी विकास हेतु अति आवश्यक है। अतः भारत में सभी नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने हेतु सरकार एवं अन्य हितधारकों को मिलकर प्रयास करना चाहिए। भविष्य के साक्षर, सशक्त और समर्थ भारत के लिए यह आवश्यक है कि डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देकर डिजिटल विभाजन की समस्या को दूर किया जाए। इसी से साक्षर सशक्त भारत का मार्ग प्रशस्त होगा।

❍❍❍❍❍

आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम कर्तव्यों के माध्यम से अधिकारों की रक्षा करने के रास्ते पर चल पड़े। कर्तव्य का वो पथ जिसमें अधिकार की गारंटी है, कर्तव्य का वो पथ, जो अधिकार सम्मान के साथ दूसरे को स्वीकृत करता है, उसके हक को दे देता है।

भारत 'आत्मवत् सर्वभूतेशु' के महान आदर्शों को, संस्कारों को लेकर, विचारों को लेकर चलने वाला देश है। 'आत्मवत् सर्वभूतेशु' यानी, जैसा मैं हूँ, वैसे ही सभी मनुष्य हैं। मानव–मानव में, जीव–जीव में भेद नहीं हैं। जब हम इस विचार को स्वीकार करते हैं तो हर तरह की खाई भर जाती है। तमाम विविधताओं के बावजूद भारत के जनमानस ने इस विचार को हजारों सालों से जीवंत बनाए रखा। इसीलिए, सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद भारत जब आजाद हुआ, तो हमारे संविधान द्वारा की गई समानता और मौलिक अधिकारों की घोषणा, उतनी ही सहजता से स्वीकार हुई।

आत्मनः प्रति–कूलानि परेशाम् न समाचारेत्। यानी, जो अपने लिए प्रतिकूल हो, वो व्यवहार दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं करें। इसका अर्थ ये है कि मानवाधिकार केवल अधिकारों से नहीं जुड़ा हुआ बल्कि ये हमाने कर्तव्यों का विषय भी है। हम अपने साथ साथ दूसरों के भी अधिकारों की चिंता करें, दूसरों के अधिकारों को अपना कर्तव्य बनाएँ, हम हर मानव के साथ 'सम भाव' और 'मम भाव' रखें! जब समाज में ये सहजता आ जाती है तो मानवाधिकार हमारे समाज का जीवन मूल्य बन जाते हैं। अधिकार और कर्तव्य, दो ऐसी पटरियां हैं, जिन पर मानव विकास और मानव गरिमा की यात्रा आगे बढ़ती है। अधिकार जितना आवश्यक हैं, कर्तव्य भी उतने ही आवश्यक हैं। अधिकार और कर्तव्य की बात अलग–अलग नहीं होनी चाहिए, एक साथ ही की जानी चाहिए।

PS Jul-Dec'21_feb'11 pror shiksha.qxd 12/18/2021 1:33 PM Page 46

उद्यमशीलता और रोजगाार

दुनिया में भारत की चर्चा विभिन्न संदर्भों में की जाती है। इन्हीं में से एक है जनसंख्या लाभ में भारत का अग्रणी होना। किसी भी देश के लिए जनसंख्या लाभ वह स्थिति होती है जब आबादी के बड़े हिस्से को उत्पादक कार्यों में नियोजित कर उत्पादन का स्तर बढ़ाया जा सके। एक अनुमान के अनुसार अगले वर्ष अर्थात 2022 में भारतीय जनसंख्या की औसत आयु अट्ठाईस वर्ष होगी, जबकि चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में यह सैंतीस वर्ष, पश्चिमी यूरोप के देशों में पैंतालीस वर्ष और जापान में उनचास वर्ष होगी। अतः आबादी के लिहाज से हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जनसंख्या लाभ की यह स्थिति अपने आप हकीकत में नहीं बदलने वाली। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास करने होंगे।

भारतीय शिक्षा प्रणाली की कई मामलों में आलोचना की जाती रही है। कहा जाता रहा है कि यह शिक्षा व्यवस्था रट कर अंक जुटाने को बढ़ावा देने वाली है। यह विद्यार्थियों की सोच को विकसित नहीं होने देती, जिससे विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता, सृजनशीलता और उद्यमिता की भावना कम देखने को मिलती है। हो सकता है कि नई शिक्षा नीति 2020 लागू किए जाने से स्थितियों में कुछ अनुकूल बदलाव हों, पर यह बाद की बात है। अभी तो ज्यादातर विद्यार्थी पढ़ाई सिर्फ इस उद्देश्य से करते हैं कि यह उन्हें नौकरी दिला सके। पर नौकरी सबको मिल कहां पाती है? देश में बेरोजगारी की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कोरोना संकट ने हालात और बदतर कर डाले हैं। महामारी का असर कम होने के साथ रोजगार के परिदृश्य में हालांकि सुधरने के आसार बनने लगे हैं, पर यह संभावना दूर–दूर तक नहीं नजर आती कि हमारे देश में हर हाथ को काम यानी रोजगार अगले आठ–दस वर्षों में भी मिल पाएगा।

जब देश की विकास दर में वृद्धि की संभावना व्यक्त की जाती है तो हम खुश हो जाते हैं। अब भी कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है। पर यह बात कि उक्त वृद्धि रोजगार रहित है, पहले भी कही जा रही थी और अब भी उतनी ही लागू है। अर्थव्यवस्था में रोजगार के उतने अवसर नहीं बन पा रहें हैं जितने कि होने चाहिए। साथ ही यह भी सच है कि एक बड़ा वर्ग उन लोगों का है जिन्हें अपनी शिक्षा के हिसाब से बेहतर रोजगार में होना चाहिए था, पर रोजी–रोटी कमाने के लिए उन्हें समझौता करना पड़ा। एक और बात जिस पर कम ध्यान दिया गया है, वह कृषि पर अर्थव्यवस्था की निर्भरता का कम होता जाना है। कृषि में अब पहले से कम संख्या में लोग नियोजित हैं, भले ही कृषि उत्पादन अधिक हो रहा हो। बेरोजगार की संख्या में कृषि से बाहर आए लोगों की संख्या भी जुड़ती जा रही है।

अगर सबके लिए रोजगार नहीं है और देश में बेरोगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, तो एक ही रास्ता दिखता है कि अधिक से अधिक लोग उद्यमी बनें और अपने पैरों पर खड़े हों। उद्यमी बनने से मतलब यहां उद्योगपति बनने से नहीं, बल्कि खुद का व्यवसाय शुरू करने से है। नौकरियों के लिए लोगों का ज्यादा आकर्षण इसलिए होता है कि इसमें जोखिम कम होता है, हर महीने वेतन मिलना सुनिश्चित होता है, काम का समय तय होता है और ढ़ंग से काम करें तो तरक्की मिलती रहती है। पर उद्यमिता में जोखिम है। पांव जमाने और स्पर्धा में टिके रहने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जाहिर है, उद्यमी बनने की राह नौकरी करने के मुकाबले कहीं ज्यादा कठिन है। ज्यादातर लोग आसान राह चुनना पसंद करते हैं। पर ऐसे नौजवान भी हैं जो जोखिम उठाना पंसद करते हैं। आइआइटी और आइआइएम के कई

विद्यार्थी जिन्हें मोटी तनख्वाह पर सुस्थापित कंपनियों में नौकरी के अवसरों की कमी नहीं होती, वे भी स्वतंत्र व्यवसाय को प्राथमिकता देते हैं। इसी तरह से भारत में कारोबारी नवाचार की संस्कृति विकसित हो रही है। लेकिन जिस उद्यमिता की बात हम कर रहें हैं, वह सादगीपूर्ण और व्यापक आधार वाली है तथा उन लोगों से जुड़ी है जिन्हें भले ही शानदार संस्थानों से पढ़ाई करने का अवसर न मिला हो, पर जिनमें निहित संभावनाओं को मूर्त रूप देने की अदम्य इच्छा है और इसे संभव बनाने की प्रतिबद्धता।

भारत में अगर उद्यमिता की प्रवृति कम देखने को मिलती है तो इसके पीछे कुछ स्पष्ट कारण हैं। दरअसल बुनियादी स्तर पर उद्यमिता के विकास के लिए हमारे यहां प्रयासों में हमेशा से कमी रही है। उद्यमिता आधारित एमबीए अथवा एमबीए में एक विषय के रूप में उद्यमिता को शामिल करना कुछ ही लोगों की जरूरतें पूरी कर सकता है, वह भी प्रायः उस वर्ग की जो साधनों की दृष्टि से समर्थ है। उद्यमिता विकास की जरूरत कहीं ज्यादा उन युवाओं को है जो मध्य, निम्न वर्ग तथा छोटे शहरों, कस्बों और गांवों से ताल्लुक रखते हैं। व्यवहार विज्ञानी उद्यमिता को एक मानसिकता बताते हैं। कर्म से सफल उद्यमी बनने के लिए मन से उद्यमी होना चाहिए। शिक्षण व प्रशिक्षण की भूमिका यहीं आती है। लोगों में उद्यमिता की भावना विकसित की जा सकती है। उद्यमिता एक जन्मजात गुण है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है।

इसलिए उचित होगा कि उद्यमिता विकास के किसी भी नए अभियान में सबसे पहले उन युवाओं को शामिल किया जाए, जिन्हें प्रयासों के बावजूद नौकरी पाने में सफलता न मिली हो। उद्यमिता विकास का पहला चरण उद्यमिता अपनाने के प्रति झिझक को दूर करना और इसे लेकर लोगों के मन में बैठी आशंकाओं का निवारण करना है। इसके बाद लोगों को अवसरों को चुनने का तरीका बताया जाना चाहिए। उद्यमिता के रास्ते में संभावित जोखिम कौन से हैं, इन्हें कम कैसे किया जाए तथा जोखिमों का सामना कैसे किया जाए, इसकी जानकारी देनी होगी। उद्यम शुरू करने के लिए संसाधनों की जरूरत होगी। पूंजी तथा अन्य संसाधन जुटाने के लिए हमारे देश में क्या विकल्प हैं, इस पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। प्रशिक्षण में मानव संसाधन, वित्त के प्रबंधन और विपणन संबंधी विषयों की भी जानकारी शामिल होनी चाहिए। प्रशिक्षित लोगों के लिए प्रमाणन की व्यवस्था भी हो जो उन्हें वित्तीय तथा अन्य सहायता पाने में मदद करें। उद्यमिता विकास के लिए प्रारंभिक पहल सरकार को करनी होगी। निजी क्षेत्र भी इसमें पर्याप्त योगदान कर सकता है। इसके विविध तरीके हो सकते हैं जैसे कंपनियां खुद उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित करें, कारपोरेट जगत के लोग युवाओं के साथ संवाद करें, उन्हें मार्गदर्शन दें, तथा उनके साथ अपने अनुभव साझा करें।

बेरोजगारी की कीमत देश कई प्रकार से चुकाता है। देश के एक भी नागरिक की प्रतिभा का उपयोग नही हो पाना प्रतिभा को गंवा देने जैसा है। इसके साथ अवसर लागत की कीमत भी चुकानी पड़ती है। बेरोजगारी कुंठा और निराशा पैदा करती है। कई युवा जब अपनी योग्यता, क्षमता और कुशलता का रचनात्मक उपयोग नहीं कर पाते तो गलत रास्ते की ओर उन्मुख हो जाते हैं। बेरोजगारी केवल बेरोजगार व्यक्ति के लिए समस्या नहीं है। इससे होने वाले नुकसानों को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। अल्पविधि में रोजगार के अवसरों में भले भारी वृद्धि नहीं की जा सके, पर युवाओं को उद्यमिता की राह चुनने को प्रेरित कर हम उन्हें रचनात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। इस प्रकार बेरोजगारी के दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं और इन सबसे राष्ट्रीय आय का स्तर भी ऊंचा उठा सकते हैं (साभार जनसत्ता)।

❍❍❍❍❍

PS Jul-Dec'21_feb'11 pror shiksha.qxd 12/18/2021 1:33 PM Page 48

हमारे लेखक

उमेश चमोला
शिक्षक–प्रशिक्षक
राज्य शैक्षिक अंनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्
राजीव गांधी नवोदय विद्यालय भवन
नालापानी, देहरादून
उत्तराखण्ड

सरोज गर्ग
प्रोफेसर
लोकमान्य तिलक टिचर्स एजुकेशन कॉलेज
दबोक, उदयपुर
राजस्थान–313001

वन्दना चौबीसा
शोधार्थी
जनार्दन राय नागर विद्यापीठ विश्वविद्यालय (डीम्ड–टू–बी)
उदयपुर, राजस्थान

कल्पना कौशिक
प्रभारी निदेशक
भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ
नई दिल्ली

PS Jul-Dec'21_feb'11 pror shiksha.qxd 12/18/2021 1:33 PM Page 49

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

कार्यकारिणी समिति

अध्यक्ष
डा. एल. राजा

बहिर्गामी अध्यक्ष
श्री कैलाश चौधरी

उपाध्यक्ष
श्रीमती राजश्री बिस्वास
प्रो. सरोज गर्ग
प्रो. राजेश
प्रो. एस. वाई. शाह

महासचिव
श्री. सुरेश खण्डेलवाल

कोषाध्यक्ष
डा. पी. ए. रेड्डी

संयुक्त सचिव
श्री मृणाल पन्त

सह–सचिव
डा. डी. उमा देवी
श्री राजेन्द्र जोशी
श्री ए. एच. खान
श्री हरीश कुमार एस.

सदस्य
सुश्री निशात फारूख
डा. आशा आर पाटिल
डा. आशा वर्मा
श्री वी बालासुब्रमनियण
श्री वाई एम जनानी
श्री वाई. एन. शंकरेगोडा
डा. वी. रेघु

सहयोजित सदस्य
प्रो. अशोक भटट्राचार्य
श्रीमती इन्दिरा राजपुरोहित
डा. डी. के. वर्मा

PS Jul-Dec'21_feb'11 pror shiksha.qxd 12/18/2021 1:33 PM Page 50

"अन्य संसाधनों की कमी को एक अच्छा शिक्षक पूरा कर सकता है परन्तु एक अच्छे शिक्षक की कमी को अन्य सभी संसाधन मिलकर भी पूरा नहीं कर सकते हैं।"

— डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

स्वत्वधिकारी भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ के लिए सुरेश खण्डेलवाल द्वारा 17–बी आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–2 से प्रकाशित, सम्पादित और उनके द्वारा मैसर्स– ग्राफिक वर्ल्ड, 1686, कूचा दखिनी राय, दरियागंज, नई दिल्ली–2 से मुद्रित।
सम्पादकः सुरेश खण्डेलवाल